Ministry of [illegible] Justice
Correction Section

भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

©

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

सत्यमेव जयते

विधिक दस्तावेजों
के
मानक प्रारूप

Standard Forms
OF
Legal Documents

जिल्द 2

Vol. II

1979

राजभाषा खण्ड

OFFICIAL LANGUAGES WING

प्राक्कथन

विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूप नामक संकलन की यह दूसरी जिल्द है। इस प्रकाशन की पहली जिल्द जून, 1978 में प्रकाशित हुई थी जिसका अच्छा स्वागत हुआ है। सरकारी कार्यवाहियों में सामान्यतया प्रयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की बीस विधिक दस्तावेजों के हिन्दी मानक प्ररूप और तैयार किए गए हैं और उनके अंग्रेजी पाठ के साथ उनका संकलन इस जिल्द में किया गया है।

अगला संकलन वर्ष 1980 में प्रकाशित किया जाएगा। आशा है यह संकलन भी सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है।

कृपया इस पते पर पत्र-व्यवहार करें :—

संयुक्त सचिव और प्रारूपकार,
राजभाषा खण्ड,
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
भगवान दास मार्ग,
नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली,
30 जून, 1979

रु० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,
सचिव, विधायी विभाग।

विषय सूची

पृष्ठ

I. करार:

1. दुकानों/फ्लैटों के लिए अवक्रय करार 1

2. सरकारी परिसर में फल और पान तथा सिगरेट स्टाल चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए करार . . 3

3. केन्द्रीय सरकार के सेवकों द्वारा भूखण्ड का क्रय करने और मकान बनाने, विद्यमान मकान का विस्तार करने और बने बनाए मकान के क्रय के लिए अग्रिम लेने के समय निष्पादित किया जाने वाला करार 7

4. मूल्य के अनुसार निर्यात बाध्यता वाले मामलों में लिमिटेड कम्पनियों द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार . . 10

II. बंधपत्र:

5. छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्तियों के लिए बंधपत्र (जब उम्मीदवार नियोजन में नहीं है) 14

6. छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्तियों के लिए बंधपत्र (जब उम्मीदवार नियोजित है और/या अपने नियोजक द्वारा प्रायोजित है) . 17

7. उपभोक्ता संगठन द्वारा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बंधपत्र 20

8. भाण्डागार बंधपत्र 22

9. माल के आयातकर्ता के लिए बंधपत्र 25

10. प्रतिभू-बंधपत्र 27

III. संविदा:

11. शिथिल संविदा 28

IV. हस्तांतरण विलेख:

12. पट्टाधृत स्थलों पर सन्निर्मित भवन का हस्तांतरण विलेख . . 35

V. पट्टा:

13. पट्टा विलेख—भारत सरकार द्वारा प्राइवेट परिसर का अपने उपयोग के लिए पट्टे पर लिया जाना 39

14. भूमि के पट्टान्तरण के लिए पट्टा विलेख 42

VI. अनुज्ञप्ति:

15. सरकारी भूमि की बाबत अनुज्ञप्ति 47

VII. बंधक: पृष्ठ

16. अनुपूरक बंधक विलेख 52

17. मकान के निर्माण आदि के लिए अग्रिम के अनुदान के लिए सरकारी सेवक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंधक विलेख [जब सम्पत्ति मुक्तधृति (फ्रीहोल्ड) है] 55

VIII. प्रकीर्ण:

18. बैंक प्रत्याभूति 60

19. वारण्टी खण्ड का आदर्श प्ररूप (प्ररूप सा० वि० नि० 1) . . 61

20. खनन पट्टा के अन्तरण के लिए आदर्श प्ररूप . . . 61

दुकानों/फ्लैटों के लिए अवक्रय करार

यह करार, एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है) और दूसरे पक्षकार के रूप में..... जो .....का पुत्र है (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है और इसमें अभिप्रेत है तथा इसके अन्तर्गत है उक्त....., उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती) के बीच आज तारीख.....को किया गया।

अनुज्ञप्तिधारी उक्त पक्षकारों के बीच तारीख.....को निष्पादित अनुज्ञप्ति विलेख के अनुसार सरकार के अधीन दिल्ली/नई दिल्ली की..... मार्केट में दुकान/फ्लैट संख्यांक..... का आबंटिती है और उसने सरकार से निवेदन किया है कि उसे उक्त परिसर का पट्टा भूमि और संरचनाओं की कीमत के किस्तों में संदाय के पश्चात् मंजूर किया जाए।

सरकार दिल्ली/नई दिल्ली की.....मार्केट में स्थित संरचनाओं के नीचे के उस भूखण्ड का जिसका पूर्ण वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में दिया गया है, अन्तरण करने और उस पर बनी दुकान/फ्लैट संख्यांक.....का हस्तांतरण करने के लिए सहमत हो गई है।

सरकार दूसरे पक्षकार को इस बात की अनुज्ञा देने के लिए कि पूरा संदाय प्राप्त हो जाने के पश्चात् वह उक्त भूमि को पट्टे पर ले सकता है तथा अधिसंरचना का, जिसमें दुकान सं०...../फ्लैट सं०.....समाविष्ट है, इस करार में उल्लिखित शर्तों पर हस्तांतरण करने के लिए भी सहमत हो गई है।

दूसरा पक्षकार उक्त भूमि और अधिसंरचना की बाबत इसमें आगे उपबंधित रीति में किराया, रेट, कर आदि का संदाय करने का करार करता है :—

1. (i) दूसरा पक्षकार उक्त परिसर को अनुज्ञप्तिधारी के रूप में धारित करेगा और वह उसका अधिभोग तारीख .....को उक्त पक्षकार के बीच निष्पादित पूर्ववर्ती अनुज्ञप्ति विलेख में उल्लिखित शर्तों के अनुसार रखेगा तथा वह उसे उस समय तक धारित करेगा जब तक कि उस दुकान/फ्लैट का स्वामित्व इसमें आगे विहित रीति में उसे अन्तरित नहीं कर दिया जाता है।

(ii) सरकार ने अधिसंरचना की, जिसमें .....में स्थित दुकान/फ्लैट संख्यांक.....समाविष्ट है, लागत जिसके अन्तर्गत.....रु० की दर से भूमि की प्रीमियम कीमत भी है.....वार्षिक समान किस्तों में वसूल करने का विनिश्चय किया है। पहली किस्त का संदाय तारीख.....को किया जाएगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती किस्त का संदाय प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष की तारीख .....को किया जाएगा।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी किस्तों के अतिरिक्त अन्तरित परिसर के लिए भूमि के किराए के रूप में.....रु० की रकम का संदाय करेगा और यह प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को संदेय होगा।

(iv) यदि अनुज्ञप्तिधारी की ओर से किसी किस्त या भूमि के किराए के संदाय में व्यतिक्रम किया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी का अनुज्ञप्त परिसर के संबंध में पट्टा विलेख/हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए जाने का अधिकार समपहृत हो जाएगा और उसकी ओर से यह कार्य अनुज्ञप्तिधारी को उक्त स्वामित्व और पट्टाधृति के अधिकारों का दावा करने के हक से वंचित कर देगा तथा उस दशा में वह तारीख..... को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में पूर्व निष्पादित अनुज्ञप्ति विलेख

के अनुसार अस्थायी मासिक अनुज्ञप्तिधारी हो जाएगा और यह अनुज्ञप्ति रद्द की गई समझी जाएगी तथा वे किस्तें और भूमि किराया जो जमा किया जा चुका है, समपहृत हो जाएगा।

2. अनुज्ञप्तिधारी सभी किस्तों का जिनके अन्तर्गत अधिसंरचना की लागत और भूमि-किराया भी है, संदाय करने पर उक्त अधिसंरचना का स्वामित्व, सरकार से अपने पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करवा कर अर्जित करेगा।

3. यदि अनुज्ञप्तिधारी इस विलेख की और मासिक अनुज्ञप्ति के संबंध में पूर्वतर निष्पादित विलेख की प्रसविदाओं और शर्तों में से, जिनका उसकी ओर से पालन किया जाना है, किसी का अनुपालन नहीं करता है (जिसके संबंध में निर्माण और आवास मंत्रालय में, जिसे यह कार्य अन्तरित किया गया है, भारत सरकार के सचिव का विनिश्चय अंतिम होगा) तो ऐसे किसी भी मामले में सरकार 30 दिन की लिखित सूचना देकर इस करार को समाप्त कर देगी और उसे परिसर का कब्जा पुनः प्राप्त करने तथा अनुज्ञप्तिधारी को कोई प्रतिकर दिए बिना बेदखल करने का अधिकार होगा।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है

अन्तरित परिसर की संरचना का विवरण

(i) तल मंजिल पर ईंटों से बनी दुकान सं०..... (पहली मंजिल/दूसरी मंजिल/रहायशी/वाणिज्यिक फ्लैट);

(ii) सीढ़ियों में.....हिस्सा और आम रास्ते में.....हिस्सा और शौचालय ब्लाक में.....हिस्सा।

भूखण्ड के उत्तर में..... है
भूखण्ड के दक्षिण में..... है
भूखण्ड के पूर्व में..... है
भूखण्ड के पश्चिम में..... है

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने इस करार पर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति द्वारा
श्री..... के
माध्यम से
(1) साक्षी सं० 1.....
पता .....
(2) साक्षी सं० 2.....
पता .....
की उपस्थिति में निष्पादित।

(दूसरे पक्षकार के हस्ताक्षर)

श्री..... द्वारा
(1) साक्षी सं० 1.....
पता .....
(2) साक्षी सं० 2.....
पता .....
की उपस्थिति में निष्पादित।

सरकारी परिसर में फल और पान तथा सिगरेट स्टाल चलाने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'सरकार' कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में श्री..... (जिसे इसमें आगे 'फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता' कहा गया है और इसके अन्तर्गत जहां संदर्भ के अनुकूल है, उसके विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं) के बीच आज तारीख.....को किया गया। इसके द्वारा यह करार किया जाता है कि :---

फल और पान तथा सिगरेट का एक स्टाल चलाने के प्रयोजन के लिए सरकार के पास शास्त्री भवन, नई दिल्ली के 'बी' विंग में पहले तल पर ऐसे फल और पान तथा सिगरेट स्टाल के लिए जिसे इसमें आगे 'उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल' कहा गया है, स्थान उपलब्ध है।

सरकार इसमें आगे वर्णित निबंधनों और शर्तों पर फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता को अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1. यह करार .....(तारीख) से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, परन्तु सरकार को यह हक होगा कि वह इस करार को, कोई भी कारण बताए बिना, एक मास की सूचना देकर किसी भी समय समाप्त कर दे।

2. उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल सरकार की पूर्ण सम्पत्ति है और वह इसमें अन्तर्विष्ट शर्तों पर फल, पान और सिगरेट बेचने के लिए इसका उपयोग करने की फल और पान तथा सिगरेट अनुज्ञप्ति प्रदान करती है।

उक्त फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता सरकार को..... .....रु० (केवल .....रुपए) की वार्षिक फीस का अग्रिम रूप से संदाय करेगा और इसमें आगे जो उपबंध है उसके अधीन रहते हुए सरकार को निम्नलिखित दरों पर जल और विद्युत प्रभारों का वार्षिक संदाय भी अग्रिम रूप से करेगा :—

(1) यदि नलों की व्यवस्था की गई है तो जल प्रभार प्रति नल प्रति मास 6 रु० (केवल छह रुपए); अन्यथा प्रति मास 5 रु० (केवल पांच रुपए) की दर से।

(2) (क) प्रकाश प्वाइंट, प्रति मास 3 रु० (केवल तीन रुपए) प्रति प्वाइंट की दर से ; और

(ख) सीलिंग पंखा, किसी भी वर्ष में 1 अप्रैल से आरंभ होकर उसी वर्ष में 31 अक्तूबर तक की अवधि के लिए गर्मी के महीनों के दौरान प्रति मास 6 रु० (केवल छह रुपए) प्रति पंखा की दर से :

परन्तु जहां जल और/या विद्युत् के लिए अलग-अलग मीटर हैं वहां उनके लिए प्रभार वास्तविक उपभोग के अनुसार प्रभार में मीटर का किराया जोड़ कर होगा और फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता द्वारा उसका संदाय सीधे सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारियों को उनके बिलों के अनुसार किया जाएगा।

3. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल को साफ सुथरा रखेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा अथवा उसमें ऐसी कोई बात नहीं होने देगा जिससे परिसर को या पास लगे हुए भवनों को आग से नुकसान पहुंचने का खतरा हो और वह इस करार की समाप्ति पर उक्त स्टाल को अच्छी हालत में सरकार को सौंप देगा।

4. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता, फल, पान और सिगरेट आदि के विक्रय से संबंधित नगरपालिक उपविधियों का पालन करेगा और सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा।

5. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता, सरकार द्वारा उसको समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों का पालन करेगा।

6. विक्रेता द्वारा उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल में प्रभारित की जाने वाली कीमतें उन चालू बाजार दरों पर होंगी जो समय-समय पर प्रमाणित की जाएं।

7. उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल में बेचे जाने वाले फल, पान और सिगरेट ताजा और अपनी-अपनी किस्म की उच्चतम क्वालिटी के होंगे और वे अनुमोदित स्रोतों से प्राप्त किए जाएंगे। सरकार को यह अधिकार होगा कि वह उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल में विक्रय के लिए रखी गई ऐसी वस्तु के विक्रय को रोक दे या उसे फेंक दे जो अपेक्षित मानक की नहीं समझी गई है या जो उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। प्राधिकृत सरकारी प्रतिनिधि को मांग की जाने पर किसी फल, पान और सिगरेट का, जो विक्रय के लिए रखी गई है, नमूना निःशुल्क दिया जाएगा जिससे कि वह यह देख सके कि वह वस्तु अपेक्षित मानक की है या नहीं।

8. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता इस करार के प्रवृत्त रहने के दौरान उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल में सहज दृश्य स्थान पर एक शिकायत पुस्तक रखेगा जिसमें शिकायतें लिखी जा सकें और वह सरकार द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

9. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता करार के समुचित क्रियान्वयन के लिए अपने खर्च पर आवश्यक सेवकों की व्यवस्था करेगा और ऐसे सेवक अनुभवी होंगे और वे सभी समय उचित और साफ पोशाक पहने रहेंगे।

10. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता का ग्राहकों के साथ व्यवहार अत्यन्त विनम्र होगा। वह सभी आवश्यक फर्नीचर की व्यवस्था और उसका रख-रखाव अपने खर्च पर करेगा और इस करार के अधीन उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल को जो उसके अधिभोग में है, सदैव सरकार को समाधानप्रद रूप में साफ-सुथरी और स्वच्छ हालत में तथा सरकार के प्राधिकृत अभिकर्ता के निरीक्षण के लिए हर समय खुला रखेगा। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वार्षिक मरम्मत कर दी जाने के पश्चात् विक्रेता उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल को, विशेष रूप से उसकी फर्श, दीवारों, दरवाजों और खिड़कियों को अपने खर्च पर साफ रखने के लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। उक्त स्टाल के लिए बिजली के बल्ब विक्रेता अपने खर्च पर लगाएगा।

11. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी प्रकार की मुद्रित अथवा लिखित सूचनाएं या विज्ञापन, उनको छोड़कर जिनका संबंध उसके व्यापार से है, उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल में प्रदर्शित नहीं करेगा।

12. सरकार फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता के किसी माल, सामान या वस्तुओं को या विक्रय के लिए आशयित किसी माल, सामान और वस्तुओं को, जो उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल में रखी जाएं, होने वाले किसी नुकसान या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

13. सरकार उस रकम की वसूली के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जो ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल से सामान खरीदता है, फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता को शोध्य हो। यदि फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता कोई वस्तु उधार बेचता है तो वह ऐसा अपनी जोखिम पर करता है और सरकार उसे किसी भी रूप में प्रतिकर देने के लिए आबद्ध नहीं होगी।

14. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता, उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल को न तो उप पट्टे पर देगा, न इस करार से भिन्न प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करेगा और न सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल में कोई संरचनात्मक परिवर्धन और परिवर्तन करेगा या किया जाने देगा।

15. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता केन्द्रीय लो० नि० वि० के प्रतिनिधि को भवन का या विद्युत, जल और सफाई संबंधी फिटिंगों का निरीक्षण करने और उसमें संरचनात्मक परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत करने के लिए और उसकी ऐसी पुनर्संज्ञा करने के लिए जो समय-समय पर आवश्यक पाई जाए, परिसर में प्रवेश करने देगा। इस प्रयोजन के लिए समय और तारीख विक्रेता की सुविधा का समुचित ध्यान रखते हुए सरकार के प्रतिनिधि द्वारा नियत की जाएगी।

16. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता परिसर के अंदर सरकारी सम्पत्ति को हुए सभी नुकसानों या हानियों के लिए जिम्मेदार होगा और ऐसी हानि या नुकसान की, उनको छोड़कर जो युक्तियुक्त उपयोग और टूट-फूट अथवा आंधी, भूकम्प या अन्य अप्रतिरोध्यबल के कारण हों, प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होगा और विशेष रूप से उक्त स्टाल के दरवाजों और खिड़कियों में टूटे हुए सभी शीशों या कांच के लिए जो उचित टूट-फूट के कारण नहीं टूटे हैं, मांग की जाने पर संदाय करेगा।

17. इस करार से उद्भूत या इससे किसी भी रूप में संबंधित सभी विवाद और मतभेद (उनको छोड़कर जिनके विनिश्चय के लिए इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध किया गया है) ऐसे व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किए जाएंगे जिसका नामनिर्देशन भारत सरकार के उस मंत्रालय के, जो ऐसे नामनिर्देशन के समय सम्पदा निदेशालय/के० लो० नि० विभाग का प्रशासनिक कार्य कर रहा हो, सचिव द्वारा या यदि कोई सचिव न हो तो उस मंत्रालय के प्रशासनिक प्रधान द्वारा किया गया है। ऐसी किसी नियुक्ति के बारे में यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि नियुक्त किया गया व्यक्ति सरकारी सेवक है, कि उसे उन विषयों के संबंध में कार्य करना पड़ा है जिनका संबंध इस करार से है और यह कि ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान वह विवादग्रस्त या मतभेद वाले किसी या सभी विषयों में अपने विचार व्यक्त कर चुका है। ऐसे मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और इस करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। इस करार का एक निबंधन यह भी है कि यदि वह मध्यस्थ जिसको मामला मूल रूप से निर्देशित किया गया है, स्थानांतरित हो जाता है या वह अपना पद त्याग देता है या वह किसी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो ऐसे स्थानान्तरण, पद त्याग या कार्य करने में असमर्थता के समय उक्त सचिव या प्रशासनिक प्रधान किसी अन्य व्यक्ति को इस करार के निबंधनों के अनुसार मध्यस्थ

के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसे व्यक्ति को हक होगा कि वह निर्देश संबंधी कार्य उस प्रक्रम से आगे आरंभ करे जिस पर उसके पूर्वाधिकारी ने उसे छोड़ा था। इस करार का एक निबंधन यह भी है कि उक्त सचिव या प्रशासनिक प्रधान द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मध्यस्थ का कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से यह संभव न हो तो मामला माध्यस्थम् के लिए भेजा ही नहीं जाएगा। ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन समय-समय पर बनाए गए नियमों के उपबंध तथा उसके कानूनी उपांतर या पुनः अधिनियमितियां ऐसे माध्यस्थम् को लागू होंगी।

18. मध्यस्थ अधिनिर्णय तैयार करने और उसे प्रकाशित करने के लिए समय-समय पर पक्षकारों की सहमति से समय बढ़ा सकेगा।

19. फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता करार के सम्यक् पालन के लिए प्रतिभूति के रूप में 250 रु० की राशि सरकार के पास नकद जमा करेगा। यह रकम सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली या सरकार द्वारा निर्देशित किसी अन्य अधिकारी के पास जमा की जाएगी। यदि उक्त फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता इसमें अन्तर्विष्ट और उसकी ओर से पालन या अनुपालन किए जाने वाले निबंधनों और शर्तों में से किसी का भंग करता है तो सरकार इस करार को तुरन्त समाप्त कर सकेगी और वह अपने अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिभूति निक्षेप या उसके किसी भाग का समपहरण करने की हकदार होगी। करार की अवधि के पर्यवसान या उसकी पूर्वतर समाप्ति पर सरकार प्रतिभूति निक्षेप या उसका कोई भाग जिसको सरकार ने पूर्वोक्त रूप में समपहृत नहीं किया है फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता को ब्याज के बिना वापस कर देगी।

20. उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल सप्ताह के हर कार्य दिवस पर प्रातः 9.30 बजे से सरकारी सेवकों के कार्यालय छोड़ने तक खुला रखा जाएगा।

21. इस करार के पर्यवसान या इसकी पूर्वतर समाप्ति पर फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता उक्त फल और पान तथा सिगरेट स्टाल को शांतिपूर्वक खाली कर देगा।

22. यदि फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता उक्त खंड 21 में उपबंधित रूप में उक्त कमरा खाली करने में असफल रहता है तो फल और पान तथा सिगरेट विक्रेता व्यतिक्रम के पश्चात् ऐसे अनधिकृत अधिभोग की अवधि के लिए उक्त खंड 2 में वर्णित दरों से दुगनी दर पर प्रतिकर देने का दायी होगा।

23. फल और पान तथा सिगरेट स्टाल का उपयोग आवासीय प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री.....
.....ने और विक्रेता ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख को इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.....ने
.....की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। विक्रेता ने .....की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

केन्द्रीय सरकार के सेवकों द्वारा भूखण्ड का क्रय करने और मकान बनाने, विद्यमान मकान का विस्तार करने और बने बनाए मकान के क्रय के लिए अग्रिम लेने के समय निष्पादित किया जाने वाला करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री————————————————, जो श्री——————————का पुत्र है और इस समय—————————— के रूप में सेवा कर रहा है (जिसे इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और विधिक प्रतिनिधि भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख——————————को किया गया।

उधार लेने वाला इससे संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का क्रय* करना चाहता है और उस पर मकान बनाना चाहता है*/——————————में स्थित अपने मकान में वास स्थान का विस्तार*करना चाहता है/*——————————में स्थित एक बने बनाए मकान का क्रय करना चाहता है और उधार लेने वाले ने मकानों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों को अग्रिम देने का विनियमन करने के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ के अनुकूल हो, तत्समय प्रवृत्त उनके संशोधन या परिवर्तन भी हैं) के उपबंध के अधीन उक्त भूमि का क्रय करने और उस पर मकान बनाने के लिए*/अपने मकान में वास स्थान का विस्तार करने के लिए*/उक्त बने बनाए मकान का क्रय करने के लिए ——————————————रु० (——————————रुपए) के अग्रिम के लिए सरकार को आवेदन किया है। सरकार ने, उधार लेने वाले को———— रु० (——————————रुपए) का अग्रिम उक्त प्रयोजन के लिए मंजूर कर दिया है। इस संबंध में देखिए——————————————, जिसकी एक प्रति इस विलेख के साथ संलग्न है और जिसमें उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर यह अग्रिम मंजूर किया गया है। इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह करार किया जाता है कि:——

(1) इस करार के निष्पादन के पश्चात् भूमि का क्रय करने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली——————————————————रुपए

(यहां पहली किस्त की रकम लिखिए)

(——————————रु०) की राशि और उक्त नियमों के उपबंध के अनुसार सरकार द्वारा उधार लेने वाले को दी जाने वाली——————————रु०

(यहां दी जाने वाले शेष रकम

(——————————रु०) की राशि के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला लिखिए।)

सरकार के साथ यह करार करता है कि वह:——

(क) उस समय प्रवृत्त उक्त नियमों के अनुसार लगाए गए ब्याज सहित ——————————————रु० की उक्त रकम का——————

(यहां मंजूर की गई पूरी रकम लिखिए)——————————

——————————मासिक किस्तों में, सरकार को प्रतिसंदाय अपने वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय——————————मास से अथवा मकान पूरा होने के पश्चात्वर्ती मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारंभ होगा। उधार लेने वाला ऐसी किस्तों की कटौती उसके मासिक वेतन, छुट्टी वेतन और निर्वाह भत्ते बिलों में से करने के लिए सरकार को प्राधिकृत करता है।

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।

*(ख)(i) उक्त मंजूर किए गए अग्रिम में से—————— (यहां दी जाने वाली ——————रु० की रकम प्राप्त करने की तारीख से दो किस्त की रकम लिखिए)
मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो सरकार/विभागाध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे, भूमि का क्रय करने में उक्त रकम खर्च करेगा और उसके संबंध में विक्रय विलेख सरकार के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा और ऐसा करने में असफल रहने पर उधार लेने वाला उसे प्राप्त अग्रिम की पूरी रकम का और उस पर ब्याज का सरकार को प्रतिसंदाय करेगा।

*(ii) उक्त——————रु०(——————रु०) का अग्रिम प्राप्त करने की तारीख से तीन मास के भीतर उक्त बने बनाए मकान का क्रय करने में उक्त रकम खर्च करेगा और उसे सरकार के पास बंधक रख देगा। ऐसा करने में असफल रहने पर उधार लेने वाला उसे प्राप्त अग्रिम की पूरी रकम का और उस पर ब्याज का सरकार को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा जब तक कि सरकार ने समय न बढ़ा दिया हो।

*(iii) उक्त मकान का निर्माण/विस्तार, सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले उस नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार जिनके आधार पर अग्रिम की रकम की संगणना की जाएगी और अन्तिम रूप से मंजूर की जाएगी, ——————के अठारह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर पूरा करेगा जो सरकार द्वारा अधिकथित की जाए।

(2) यदि उधार लेने वाले द्वारा भूमि का क्रय करने और उस पर मकान बनाने के लिए*/मकान का विस्तार करने के लिए*/बने बनाए मकान का क्रय करने के लिए* वस्तुतः दी गई रकम इस विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त की गई रकम से कम है तो वह शेष रकम का सरकार को तुरन्त प्रतिसंदाय करेगा।

(3) इस विलेख के अधीन उधार लेने वाले को अग्रिम दी गई रकम के लिए और उक्त रकम के लिए संदेय ब्याज के लिए भी प्रतिभूति के रूप में, उक्त मकान/उक्त भूमि और उस पर बनाए जाने वाले मकान को सरकार के पास बंधक रखने के लिए उक्त नियम द्वारा उपबंधित प्ररूप में दस्तावेज का निष्पादन करेगा।

(4) *यदि उक्त प्रयोजन के लिए अग्रिम का भाग लेने की तारीख से दो मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो सरकार/विभागाध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे, भूमि का क्रय नहीं किया जाता है और उसका विक्रय विलेख सरकार के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है/*यदि अग्रिम लेने की तारीख से तीन मास के भीतर या ऐसे अतिरिक्त समय के भीतर जो सरकार/विभागाध्यक्ष इस निमित्त अनुज्ञात करे, मकान का क्रय नहीं किया जाता है और उसे बंधक नहीं रखा जाता है/*यदि उधार लेने वाला ऊपर किए गए करार के अनुसार, उक्त मकान का निर्माण/विस्तार, पूरा करने में असफल रहता है या यदि उधार लेने वाला दिवालिया हो जाता है या सरकार की नौकरी छोड़ देता है या मर जाता है तो अग्रिम की पूरी रकम उस पर लगने वाले ब्याज सहित सरकार को तुरन्त शोध्य और संदेय हो जाएगी।

---

*जो लागू न हो, उसे काट दीजिए।

(5) सरकार को यह हक होगा कि वह उक्त अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय उसकी (बन्धककर्ता की) सेवानिवृत्ति के समय तक या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, उस सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले जो बंधककर्ता को मंजूर किया जाए।

(6) सरकार के इस निमित्त किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई रकम उधार लेने वाले द्वारा सरकार को लौटाई जानी है या संदेय हो जाती है तो सरकार उस रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की हकदार होगी।

†(7) इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा उसे सरकार देगी।

अनुसूची जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।**

इसके साक्ष्यस्वरूप उधार लेने वाले ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से————————के कार्यालय के श्री————————ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त उधार लेने वाले

————————

———————— ————————

ने (उधार लेने वाले के हस्ताक्षर)

(1) ————————(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
————————(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) ————————(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
———— (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से————————मंत्रालय/कार्यालय के श्री————————

ने

(1)————————(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) ————————
हस्ताक्षर
————(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) ————(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)
———— (साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

---

†यदि करार असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार राज्यों से भिन्न राज्य में निष्पादित किया जाता है तो इस खण्ड को काट दें (संघ राज्यक्षेत्रों में निष्पादित करारों की बाबत इस खण्ड को कायम रखा जाएगा।)

**इसे उधार लेने वाला भरेगा।

मूल्य के अनुसार निर्यात बाध्यता वाले मामलों में लिमिटेड कम्पनियों द्वारा निष्पादित किया जाने वाला करार

यह करार एक पक्षकार के रूप में————————————————————जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ————————————————————में है (जिसे इसमें आगे "कम्पनी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पद-उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं) के बीच तारीख————————————————————को किया गया।

कम्पनी को————————————रुपए के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्ति सं० ————————, तारीख ————————————— को मंजूर की गई है।

और/या सरकार ने कम्पनी ————————————को सर्वश्री ————————————— के साथ उसके प्रस्तावित विदेशी विनिधान/तकनीकी सहयोग व्यवस्था के निबंधन और शर्त संसूचित कर दी हैं। इस संबंध में देखिए ————————————————————।

और/या सरकार ने कम्पनी को औद्योगिक अनुज्ञप्ति के/क्षमता के पर्याप्त विस्तार की मंजूरी के उसके प्रस्ताव की स्वीकृति के निबंधन और शर्तें संसूचित कर दी हैं। इस संबंध में देखिए तारीख ————————————————————का आशयपत्र संख्यांक ————————————।

संयंत्र और उपस्कर के लिए उक्त आयात अनुज्ञप्ति/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/उद्योग अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति या आशयपत्र की एक शर्त के रूप में सरकार ने यह अनुबंध किया है कि कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि वह ————————————— लाख रुपए की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष/————— वर्ष की अवधि में अर्जित करे (अथवा---- वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाए (यह संशोधन इस करार का भागरूप समझा जाएगा) प्रतिवर्ष अपने उत्पादों का ————————————प्रतिशत उस समय तक निर्यात करे जब तक कि परियोजना की विदेशी मुद्रा में पूरी लागत (या परियोजना की विदेशी मुद्रा लागत की दुगुनी या उसकी कोई अन्य गुणज राशि) जो —— लाख रुपए है निर्यात उपार्जनों के रूप में वसूल नहीं हो जाती है। (ठीक-ठीक शर्त का अनुमोदन प्रत्येक मामले में पूंजीगत माल समिति/विदेशी विनिधान बोर्ड/अनुज्ञापन समिति द्वारा किया जाएगा)।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि :—

1. कम्पनी ————————वर्ष तक या उतनी अवधि तक जो पक्षकारों के हस्ताक्षर से समय-समय पर बढ़ाई जाए (यह संशोधन इस करार का भागरूप समझा जाएगा) प्रतिवर्ष अपने उत्पाद/उत्पादों अर्थात्————————————————————का (जिनका मूल्य————————लाख रुपए से कम न हो/जो उसके उत्पाद के———— प्रतिशत से कम न हो) उस समय तक निर्यात करके (————————रुपए की) विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी या वह उस समय तक निर्यात करके विदेशी मुद्रा उपार्जित करेगी जब तक निर्यातों से प्राप्त कुल विदेशी मुद्रा उपार्जन की राशि ——— रुपए नहीं हो जाती है। यह निर्यात बाध्यता ऐसी किसी अन्य निर्यात बाध्यता के अतिरिक्त होगी जो कम्पनी पर किसी अन्य आधार पर अधिरोपित की गई है या

अधिरोपित की जाए। भूटान को किए गए निर्यात, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे और यदि नेपाल और अफगानिस्तान को मुक्त विदेशी मुद्रा में संदाय से भिन्न संदाय पर निर्यात किए जाते हैं तो वे निर्यात, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे। यदि विदेशी सहयोग के लिए कोई करार हुआ है तो उसको भंग करते हुए किए गए निर्यात भी, निर्यात बाध्यता के मोचन के लिए अर्हित नहीं होंगे।

2. ऊपर वर्णित निर्यात, संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने/उत्पादन के प्रारम्भ होने के पश्चात् अठारहवें मास से प्रारम्भ हो जाना चाहिए। संयंत्र को औद्योगिक अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर चालू कर दिया जाएगा। यह आवश्यक है कि उत्पादन तारीख ————————से आरम्भ हो जाए।

कम्पनी अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने का वचनबंध करेगी जिसमें आयात-अनुज्ञप्ति के आधार पर, संयंत्र और उपस्कर के चालू किए जाने की सही तारीख दी गई हो और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या कर्मशाला प्रबंधक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी। कम्पनी यह प्रमाणपत्र संयंत्र और उपस्कर के उक्त रूप में चालू होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी।

अथवा

कम्पनी अपने मुद्रित पत्रशीर्ष पर एक प्रमाणपत्र देने का वचनबंध करेगी जिसमें संयंत्र और उपस्कर के लिए आयात अनुज्ञप्ति/विदेशी सहयोग के अनुमोदन/उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अनुज्ञप्ति या आशय पत्र के आधार पर उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के प्रारम्भ की सही तारीख दी होगी और जिस पर, यथास्थिति, उसके मुख्य इंजीनियर या कर्मशाला प्रबंधक के हस्ताक्षर और कम्पनी के विधिपूर्वक प्राधिकृत व्यक्ति के सम्यक् रूप से किए गए प्रतिहस्ताक्षर होंगे तथा जिस पर कम्पनी की सामान्य मुद्रा अंकित होगी। कम्पनी यह प्रमाणपत्र उत्पादन या अतिरिक्त उत्पादन के इस प्रकार प्रारम्भ होने की तारीख से 30 दिन के भीतर देगी।

3. कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिन के भीतर एक रिपोर्ट आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक (निर्यात बाध्यता सेल), नई दिल्ली, को देगी और उसकी एक प्रति संबंधित आयात और निर्यात संयुक्त/उपमुख्य नियंत्रक को और एक प्रति वाणिज्य मंत्रालय (निर्यात-उत्पादन अनुभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजेगी। इस रिपोर्ट में पूर्व वित्तीय वर्ष (या इसके खंड 2 के अनुसार निर्यात शर्त के लागू होने के प्रथम वर्ष के लिए वित्तीय वर्ष के एक भाग) के संबंध में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी :—

(क) (परिमाण तथा बही मूल्य के अनुसार) उत्पादन जो व्यवसायरत किसी ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया हो जो कम्पनी का निदेशक या उसका कर्मचारी या उसका कानूनी लेखा परीक्षक नहीं है;

(ख) (परिमाण और पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अनुसार) निर्यात और साथ ही निर्यात किए गए माल की विशिष्टियां और उनके परिमाण और पोत-पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विशिष्टियां, और उन देशों के नाम जिनको वे निर्यात किए गए हैं, जो व्यवसायरत किसी ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित हो जो कंपनी का निदेशक या कर्मचारी या कानूनी लेखा परीक्षक नहीं है।

4. कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह मास के भीतर आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली को या संबंधित आयात और निर्यात संयुक्त/उपमुख्य नियंत्रक को इसमें विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता की पूर्ति में पूर्ववर्ष के दौरान किए गए निर्यातों के सही वसूल की गई विदेशी मुद्रा दर्शित करने वाले बैंक प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां और अन्य ऐसी दस्तावेजें भी भेजेगी जो आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक या संबंधित संयुक्त/उपमुख्य नियंत्रक इस करार के निबंधन और शर्तों की पूर्ति में पूर्ववर्ष में उपार्जित विदेशी मुद्रा के समर्थन में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में मांगे।

5. यदि किसी वर्ष विशेष में कम्पनी ————रु० मूल्य का माल (अपने उत्पादन का ——— प्रतिशत) निर्यात करने में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है या असमर्थ है तो उस दशा में कम्पनी संबंधित आयात और निर्यात संयुक्त/उपमुख्य नियंत्रक या आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली, की पत्र द्वारा मांग पर, उक्त पत्र की तारीख से तीस दिन के भीतर भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड को या अन्य ऐसे व्यक्ति, फर्म या निगम निकाय को, जिसे सरकार या आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली नामनिर्देशित करे (जिसे इसमें आगे "अभिकरण" कहा गया है), अभिकरण द्वारा निर्यात के लिए वर्ष के दौरान उत्पादित——— के संबंध में अनुबंधित वार्षिक प्रतिबद्धता/बाध्यता और उसके वास्तविक निर्यात (जो————————————से अधिक नहीं होगा) के बीच का अन्तर ऐसी कीमतों पर सौंप देगी जो वह विदेशों में प्राप्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी————लाख रुपए का भी (जो निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत के बराबर, किन्तु 5 लाख रुपए से अधिक न हो,) संदाय अभिकरण को "परिनिर्धारित नुकसानी" के रूप में करेगी। अभिकरण उपर्युक्त ———— के निर्यात और उसके विक्रय आगम की वसूली के पश्चात् यथासंभव शीघ्र कम्पनी को ऐसे निर्यात पर अभिकरण द्वारा उपार्जित शुद्ध विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपए, उसमें से ऐसे व्यय (जिसके अन्तर्गत अभिकरण का प्रसामान्य कमीशन भी है) काट कर देगा जो अभिकरण ने किए हैं।

6. अनुबंधित वार्षिक निर्यात प्रतिबद्धता/बाध्यता और किए गए वास्तविक निर्यात के बीच के अन्तर को प्रतिरूपित करने वाले मूल्य और/या परिमाण का और परिनिर्धारित नुकसानी के रूप में, वार्षिक निर्यात बाध्यता के 5 प्रतिशत को प्रतिरूपित करने वाली रकम का भी अवधारण आयात और निर्यात संयुक्त/उपमुख्य नियंत्रक, या आयात और निर्यात मुख्य नियंत्रक, नई दिल्ली द्वारा किया जाएगा और उक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा किया गया विनिश्चय अन्तिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा। मूल्य और/या परिमाण का अवधारण करते समय उक्त प्राधिकारी यदि आवश्यक समझे तो अपने विवेकानुसार कम्पनी को ऐसा साक्ष्य पेश करने का अवसर दे सकेगा जो वह (कम्पनी) इस प्रयोजन के लिए मूल्य और परिमाण के अवधारण के समर्थन में दे सकती है।

7. यदि किसी वर्ष कम्पनी इसमें अधिकथित निबंधनों और शर्तों में अपेक्षित अपने उत्पादन के ———— प्रतिशत से अधिक/———— रु० से अधिक का निर्यात करती है तो ऐसा आधिक्य पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) में कमी, यदि कोई हो, के प्रति मुजरा किया जा सकेगा।

8. यदि किसी वर्ष कम्पनी अपनी बाध्यताओं की पूर्ति में असफल रहती है और/या उपेक्षा करती है तो केवल उस दशा को छोड़कर जिसमें ऐसी बाध्यता की पूर्ति सरकार की किसी विधि, आदेश, उद्घोषणा, विनियम या अध्यादेशों के कारण नहीं हो पाई थी या विलम्ब से हो पाई थी, सरकार को यह हक और स्वतंत्रता होगी

कि वह कम्पनी द्वारा उत्पादित ———— का उस सीमा तक कब्जा ले ले जो उक्त खण्ड 6 में उल्लिखित है और अन्य ऐसी कार्रवाई करे जो वह परिनिर्धारित नुकसानी वसूल करने के अतिरिक्त आवश्यक समझे। सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किया गया आदेश अंतिम और कम्पनी पर आबद्धकर होगा और कम्पनी ऐसे आदेश का अशर्त अनुपालन करने का वचनबंध करती है।

9. इस विलेख या इसके अधीन निष्पादित किसी दस्तावेज पर यदि कोई स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है तो वह अनन्य रूप से कम्पनी द्वारा दिया जाएगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस पर ———— की सामान्य मुद्रा लगा दी गई है तथा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री————————————ने इस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

इस विलेख में नामित कम्पनी की सामान्य मुद्रा
इस पर (i)————————के लिए और
उसकी ओर से श्री ————————, निदेशक,

————————————
(हस्ताक्षर)

और (ii) ————के लिए और उसकी ओर से,
श्री ————————, निदेशक (i) ————————————
(निवास स्थान का पता)

————————————
(ii) (हस्ताक्षर)

————————————
(निवास स्थान का पता)

की उपस्थिति में लगाई गई है और ये निदेशक कम्पनी के निदेशक बोर्ड के तारीख ———— को हुए अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा इस प्रयोजन के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत किए गए हैं और इन्होंने—

1. ————————————(नाम, पदनाम और पता)
2. ————————————(नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी
ओर से श्री ————————————ने

1. ————————————(नाम, पदनाम और पता)
2. ————————————(नाम, पदनाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्तियों के लिए बंधपत्र

(जब उम्मीदवार नियोजन में नहीं है)

———————————————— के अधीन वृत्तिकाग्राहियों के
(छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति स्कीम का नाम)
लिए बंधपत्र ।

यह सब को ज्ञात हो कि मैं ————————जो श्री———————— का पुत्र/की पुत्री हूं, जिसे इसमें आगे "वृत्तिकाग्राही" कहा गया है (इसके अंतर्गत उसके वारिस, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं जब तक कि ऐसा संदर्भ से अप-वर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है), मांग की जाने पर आपत्ति के बिना 10,000 रु० (केवल दस हजार रुपए) की राशि या यदि संदाय भारत से भिन्न किसी देश में किया जाता है तो उस देश की करेंसी में उक्त राशि की, उस देश और भारत के बीच की सरकारी विनिमय दर से संपरिवर्तित समतुल्य रकम का संदाय करने के लिए अपने को आबद्ध करता/करती हूं।

तारीख————————————————————

उक्त आबद्ध ————————————————————द्वारा
(वृत्तिकाग्राही का नाम)
अन्य बातों के साथ इस बंधपत्र को उपर्युक्त रीति में निष्पादित करने के लिए सहमत हो जाने पर, सरकार ने उसे ————————की सरकार द्वारा————————
(छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति का नाम)
के अधीन प्रस्थापित छात्रवृत्ति के लिए नामनिर्देशित किया है।

उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि——

यदि उक्त आबद्ध वृत्तिकाग्राही—

(क) उस देश को जहां उसे प्रशिक्षण पाना है या अध्ययन करना है और/या वहां से यात्रा की सुविधा का तब स्वयं लाभ नहीं उठाता/उठाती है जब उक्त छात्र-वृत्ति के लिए उसका नामनिर्देशन स्वीकार कर लिए जाने पर सरकार ने उसकी व्यवस्था की है; या

(ख) प्रशिक्षण या अध्ययन के संबंध में ऐसे अनुदेशों का अनुपालन नहीं करता/करती है जो सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उसे दिए हैं; या

(ग) सरकार को ऐसे किसी मानदेय या अन्य धन के बारे में जो विदेश में अपने प्रशिक्षण/अध्ययन की अवधि के दौरान उसने अर्जित या प्राप्त किया है, उसकी रकम और अन्य विशिष्टियों की सूचना सरकार को देने में असफल रहता/रहती है; या

(घ) ऐसा सम्पूर्ण मानदेय या अन्य धन, जो उसे उक्त रूप में प्राप्त हुआ है, सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर, सरकार को सौंपने और अभ्यर्पित करने से इंकार करता/करती है ; या

(ङ) उस पाठ्यक्रम को, जिसके लिए उसका चयन किया गया है, पूरा किए बिना भारत लौट आता/आती है; या

(च) अपने प्रशिक्षण या अध्ययन की प्रगति के संबंध में या अपने आचरण के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट पाता/पाती है ; या

(छ) अपना प्रशिक्षण या अध्ययन पूरा हो जाने पर भारत लौटने में असफल रहता/रहती है या भारत में अपने पहुंचने की रिपोर्ट पहुंचने के दो सप्ताह के भीतर सरकार को देने में असफल रहता/रहती है ; या

(ज) छात्रवृत्ति की अवधि बीत जाने के बाद भारत लौटने में असफल रहता/रहती है ; या

(झ) ऐसे किसी अतिसंदाय का, जो विदेश में उसके प्रशिक्षण, ठहरने और अभिवहन के अनुक्रम में उसे किया गया हो तथा ऐसे उधार का, जो सरकार उसे दे, सरकार को प्रतिदाय करने में असफल रहता/रहती है ; या

(ञ) विदेश में अपने अध्ययन/प्रशिक्षण/ठहरने की अवधि के दौरान, सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है जो भारत का नागरिक नहीं है ; या

(ट) अपने प्रशिक्षण/अध्ययन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के पश्चात् या भारत में अपने आगमन के पश्चात् या किसी अन्य दशा में, रूसी भाषा से अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में, जैसा सरकार द्वारा निदेश किया जाए, अपने विषय क्षेत्र की लगभग 500-500 पृष्ठों की कम से कम दो ऐसी सोवियत पुस्तकों का, जिसका चयन सरकार या चयन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पक्षकार ने किया हो, सरकार को समाधानप्रद रूप में अनुवाद पूरा करने में असफल रहता/रहती है और सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पक्षकार द्वारा नियत समय सीमा के भीतर ऐसा अनुवाद पूरा करने में असफल रहता/रहती है :

परन्तु—

(i) सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पक्षकार उसके विषय क्षेत्र की ऐसी दो सोवियत पुस्तकों के अलावा रूसी भाषा का कोई लेख या सामग्री भी अंग्रेजी या भारतीय भाषा में उसके अनुवाद के लिए सौंप सकता है जब कि ऐसा कार्य उसे उसके प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर दिया गया हो ;

(ii) उसके द्वारा कराए गए ऐसे अनुवाद का प्रतिलिप्यधिकार भारत सरकार या उसके समनुदेशितियों में निहित होगा;

(iii) यदि उसे ऐसे अनुवाद कार्य के लिए पूर्णकालिक नियोजन नहीं दिया गया है तो उसे ऐसे प्रयोजन के लिए सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य पक्षकार सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर अनुवाद फीस देगा ;

(iv) यदि उसे विदेश में आगे अध्ययन करते समय या नौकरी के दौरान अनुवाद करने की अनुज्ञा दी जाती है तो ऐसे अनुवाद कार्य की फीस जो सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए, भारत में केवल भारतीय रुपयों में संदेय होगी; और

(v) इस प्रयोजन के लिए वह भारत में या विदेश में अपने पते की जानकारी सरकार को सदैव देता रहेगा/रहेगी ;

तो वह मांग की जाने पर, उस दशा में जब वह उस यात्रा सुविधा का, जिसका उल्लेख उक्त शर्त (क) में किया गया है, लाभ उठाने में असफल रहता/रहती है, यथास्थिति, यात्रा के खर्च का/उसको रद्द कराने के प्रभार का तथा अन्य सभी दशाओं में, ऐसे सब धन का जो उपर्युक्त रूप में उसके वृत्तिकाग्राही चुन लिए जाने के कारण उक्त प्रशिक्षण या अध्ययन, शिक्षा फीस, यात्रा व्यय, वापसी यात्रा की बाबत या अन्यथा, भारत सरकार और/या

....

(विदेशी सरकार/संगठन/संस्था/छात्रवृत्ति प्रस्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम)

द्वारा उसे संदत्त किया गया है या उसके मद्दे व्यय किया गया है, तथा जिसकी रकम 10,000 रु० (केवल दस हजार रुपए) से अधिक नहीं है, मांग की तारीख से उस पर ऐसी दरों से जो उस समय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, संगणित ब्याज सहित प्रतिदाय सरकार को तुरन्त करेगा/करेगी।

उसके इस प्रकार प्रतिदाय/संदाय करने पर उक्त बाध्यता शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगी अन्यथा वह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील होगी और रहेगी :

यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि सरकार का इस बारे में विनिश्चय अंतिम और इसके पक्षकारों पर आबद्धकर होगा कि उक्त वृत्तिकाग्राही ने इसमें इसके पूर्व उल्लिखित बाध्यताओं और शर्तों में से किसी का पालन और अनुपालन किया है या नहीं :

यह उपबंध भी किया जाता है कि यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत की विधियों द्वारा शासित होगा। यदि बन्धपत्र पर कोई स्टाम्प शुल्क दिया जाना है तो वह सरकार देगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप उक्त वृत्तिकाग्राही ने इस पर ऊपर लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त वृत्तिकाग्राही———————ने (वृत्तिकाग्राही के हस्ताक्षर)

.....*

को उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया।

---

*अनुप्रमाणक अधिकारी के हस्ताक्षर, उसका नाम, पदनाम और पूरा पता तथा कार्यालय की मुद्रा, यदि कोई हो। बन्धपत्र अनुप्रमाणित करने वाला अधिकारी सरकार के नियोजन में राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी) मुम्बई/खड़गपुर/मद्रास/कानपुर/दिल्ली तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस), बंगलौर में कार्यरत निदेशक/उप निदेशक/रजिस्ट्रार/प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर होना चाहिए।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपयोग के लिए

मैं———————(नाम और पदनाम)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं।

छात्रवृत्ति पाने वाले व्यक्तियों के लिए बंधपत्र

(जब उम्मीदवार नियोजित है और/या अपने नियोजक द्वारा प्रायोजित है)

यदि बंधपत्र पर कोई स्टाम्प शुल्क दिया जाना है तो वह सरकार देगी।

..... के अधीन वृत्तिकाग्राहियों के लिए बंधपत्र।
(छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति स्कीम का नाम)

यह सब को ज्ञात हो कि मैं.....जो श्री.....
.....का पुत्र/पुत्री हूं, जिसे इसमें आगे वृत्तिकाग्राही कहा गया है (इसके अंतर्गत उसके वारिस, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है), मांग की जाने पर और आपत्ति के बिना 10,000 रु० (केवल दस हजार रुपए) की राशि या यदि संदाय भारत से भिन्न किसी देश में किया जाता है तो उस देश की करेंसी में उक्त राशि की, उस देश और भारत के बीच की सरकारी विनिमय दर से संपरिवर्तित समतुल्य रकम का संदाय करने के लिए अपने को आबद्ध करता/करती हूं।

तारीख.....

उक्त आबद्ध.....द्वारा
.....(वृत्तिकाग्राही का नाम)

अन्य बातों के साथ इस बंधपत्र को उपर्युक्त रीति में निष्पादित करने के लिए सहमत हो जाने पर, सरकार ने उसे.....की सरकार द्वारा.....
(छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति का नाम)

के अधीन प्रस्थापित छात्रवृत्ति के लिए नामनिर्देशित किया है।
उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि—

यदि उक्त आबद्ध वृत्तिकाग्राही—

(क) उस देश को जहां उसे प्रशिक्षण पाना है या अध्ययन करना है और/या वहां से यात्रा की सुविधा का तब स्वयं लाभ नहीं उठाता/उठाती है जब उक्त छात्रवृत्ति के लिए उसका नामनिर्देशन स्वीकार कर लिए जाने पर सरकार ने उसकी व्यवस्था की है; या

(ख) प्रशिक्षण या अध्ययन के संबंध में ऐसे अनुदेशों का अनुपालन नहीं करता/करती है जो सरकार के किसी प्रतिनिधि ने उसे दिए हैं; या

(ग) सरकार को ऐसे किसी मानदेय या अन्य धन के बारे में जो विदेश में अपने प्रशिक्षण/अध्ययन की अवधि के दौरान उसने अर्जित या प्राप्त किया है, उसकी रकम और अन्य विशिष्टियों की सूचना सरकार को देने में असफल रहता/रहती है; या

(घ) ऐसा सम्पूर्ण मानदेय या अन्य धन जो उक्त रूप में प्राप्त हुआ है, सरकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर, सरकार को सौंपने और अभ्यर्पित करने से इंकार करता/करती है; या

(ङ) उस पाठ्यक्रम को, जिसके लिए उसका चयन किया गया है, पूरा किए बिना भारत लौट आता/आती है; या

(च) अपने प्रशिक्षण या अध्ययन की प्रगति के संबंध में या अपने आचरण के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट पाता/पाती है;

(छ) अपना प्रशिक्षण या अध्ययन पूरा हो जाने पर भारत लौटने में असफल रहता/रहती है या भारत में अपने पहुंचने की रिपोर्ट, पहुंचने के दो सप्ताह के भीतर सरकार को देने में असफल रहता/रहती है; या

(ज) छात्रवृत्ति की अवधि बीत जाने के बाद भारत लौटने में असफल रहता/रहती है; या

(झ) ऐसे किसी अग्रिम राशि का, जो विदेश में उसके प्रशिक्षण, ठहरने और अभिवहन के अनुक्रम में उसे दिया गया हो तथा ऐसे उधार का, जो सरकार उसे दे, सरकार को प्रतिदाय करने में असफल रहता/रहती है; या

(ञ) विदेश में अपने अध्ययन/प्रशिक्षण, ठहरने की अवधि के दौरान, सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता/करती है जो भारत का नागरिक नहीं है; या

(ट) ऐसा सरकारी सेवक या शिक्षण संस्था/लोकोपयोगी प्रतिष्ठान/फर्म/उद्योग का कर्मचारी है जिसे वेतन सहित छुट्टी, बिना वेतन छुट्टी पर या पूर्ण अथवा आंशिक वृत्तिका देकर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था और वह उस तारीख से जिस तारीख को सरकार को उसके भारत में आगमन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, एक मास से अनधिक अवधि के भीतर, उस पद का, जिसे वह मूलतः कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारण कर चुका है, उस वेतन पर जो उसे साधारणतः तब प्राप्त होता यदि वह विदेश न गया होता/गई होती कार्यभार पुनःग्रहण करने में असफल रहता/रहती है या उस दशा में जिसमें उसका नियोजक उस तारीख से जिस तारीख को सरकार को उसके भारत में आगमन की रिपोर्ट प्राप्त हुई है एक मास की अवधि के भीतर उसे वह पद जिसे वह मूलतः धारण करता था या कोई अन्य पद देने की प्रस्थापना नहीं करता है, वह अपने प्रशिक्षण/अध्ययन को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के पश्चात् या भारत में अपने आगमन के पश्चात् या किसी अन्य दशा में, रूसी भाषा से अंग्रेजी या किसी भारतीय भाषा में, जैसा सरकार द्वारा निदेश किया जाए, अपने विषय क्षेत्र की लगभग 500-500 पृष्ठों की कम से कम दो ऐसी सोवियत पुस्तकों का, जिसका चयन सरकार या चयन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पक्षकार ने किया है, सरकार को समाधानप्रद रूप में अनुवाद पूरा करने में असफल रहता/रहती है और सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य पक्षकार द्वारा नियत समय सीमा के भीतर ऐसा अनुवाद पूरा करने में असफल रहता/रहती है:

परन्तु—

(i) सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य पक्षकार उसके विषय क्षेत्र की ऐसी दो सोवियत पुस्तकों के अलावा रूसी भाषा का कोई लेख या सामग्री भी अंग्रेजी या भारतीय भाषा में उसके अनुवाद के लिए सौंप सकता है जबकि ऐसा कार्य उसे उसके प्रशिक्षण के पूरा होने के तीन वर्ष की अवधि के भीतर दिया गया हो;

(ii) उसके द्वारा कराए गए ऐसे अनुवाद का प्रतिलिप्यधिकार भारत सरकार या उसके समनुदेशितियों में निहित होगा;

(iii) यदि उसे ऐसे अनुवाद कार्य के लिए पूर्णकालिक नियोजन नहीं दिया गया है तो उसे ऐसे प्रयोजन के लिए सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य पक्षकार सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर अनुवाद फीस देगा;

(iv) यदि उसे विदेश में आगे अध्ययन करते समय या नौकरी के दौरान अनुवाद करने की अनुज्ञा दी जाती है तो ऐसे अनुवाद कार्य की फीस जो सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए, भारत में केवल भारतीय रुपयों में संदेय होगी; और

(v) इस प्रयोजन के लिए वह भारत में या विदेश में अपने पते की जानकारी को सदैव देता रहेगा/रहेगी ;

तो वह मांग की जाने पर, उस दशा में जब वह उस यात्रा सुविधा का, जिसका उल्लेख उक्त शर्त (क) में किया गया है, लाभ उठाने में असफल रहता/रहती है, यथास्थिति, यात्रा के खर्च का/उसको रद्द कराने के प्रभार का तथा अन्य सभी दशाओं में, ऐसे सब धन का जो उपर्युक्त रूप में उसके वृत्तिकाग्राही चुन लिए जाने के कारण उक्त प्रशिक्षण या अध्ययन, शिक्षा फीस, यात्रा व्यय, वापसी यात्रा की बाबत या अन्यथा भारत सरकार और या

. . . . . .

(विदेशी सरकार/संगठन/संस्था/छात्रवृत्ति प्रस्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम) द्वारा उसे संदत्त किया गया है या उसके मद्धे व्यय किया गया है, तथा जिसकी रकम 10,000 रु० (केवल दस हजार रुपए) से अधिक नहीं है, मांग की तारीख से उस पर ऐसी दरों से जो उस समय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, संगणित ब्याज सहित प्रतिदाय सरकार को तुरन्त करेगा/करेगी।

उसके इस प्रकार प्रतिदाय/संदाय करने पर उक्त बाध्यता शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगी अन्यथा वह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील होगी और रहेगी ।

यह उपबंध भी किया जाता है कि यह बंधपत्र सभी प्रकार से भारत की विधियों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप उक्त वृत्तिकाग्राही ने इस पर ऊपर लिखी तारीख को अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त वृत्तिकाग्राही

_____ (वृत्तिकाग्राही के हस्ताक्षर)

_____ने

_____*

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए और परिदान किया

---

*अनुप्रमाणक अधिकारी के हस्ताक्षर, उसका नाम, पदनाम और पूरा पता तथा कार्यालय की मुद्रा, यदि कोई हो। बन्धपत्र अनुप्रमाणित करने वाला अधिकारी सरकार के नियोजन में राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेकनोलाजी) मुम्बई/खड़गपुर/मद्रास/कानपुर/दिल्ली तथा भारतीय विज्ञान संस्थान (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस), बंगलौर में कार्यरत निदेशक/उप निदेशक/रजिस्ट्रार/प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर होना चाहिए।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उपयोग के लिए

मैं_____(नाम और पदनाम)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और
उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूं।

उपभोक्ता संगठन द्वारा केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए बंधपत्र

यह सब को ज्ञात हो कि हम ————————————, जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत संगम है और जिसका कार्यालय ————————————संघ राज्यक्षेत्र/राज्य में ———————————— में है, जिसे इसमें आगे "बाध्यताधारी" कहा गया है (इसके अंतर्गत उसके हित-उत्तराधिकारी और तत्समय सदस्य या सदस्यगण भी हैं जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) भारत के राष्ट्रपति के प्रति, जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है———————— ————रु० (————————————रुपए) की राशि के लिए वचनबद्ध और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं। इस रकम का, मांग की जाने पर और बिना किसी आपत्ति के, सरकार को पूर्णतः और सही रूप में संदाय करने के लिए हम अपने को, अपने उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों को इस विलेख द्वारा आबद्ध करते हैं।

तारीख————————को इस पर हस्ताक्षर किए गए।

बाध्यताधारी की प्रार्थना पर, सरकार बाध्यताधारी के पक्ष में, ———————— रु० (————————————रुपए) का अनुदान देने के लिए सहमत हो गई है। यह अनुदान केवल ————————————के प्रयोजन के लिए है और बाध्यताधारी इसमें आगे दिए हुए निबंधनों के अनुसार और रीति में तथा निम्नलिखित शर्तों पर एक बंधपत्र निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है, अर्थात्—

(क)————————————इस अनुदान का कोई भी भाग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए खर्च नहीं करेगा जिसके लिए यह मंजूर किया गया है और जब तक कि सरकार विनिर्दिष्ट रूप से सहमत न हो जाए, यह अन्य संगठनों को नहीं दिया जाएगा;

(ख)————————————किसी अनुसूचित/सहकारी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से एक खाता खोलेगा। यह खाता किसी व्यक्ति के नाम या पदनाम से नहीं खोला जाएगा। यह खाता दो पदधारियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा जो ———————— ————————द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे।

(ग) ———————————— के लेखाओं की लेखापरीक्षा किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट या सरकारी लेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् की जाएगी। अनुदान का लेखा उपयुक्त रूप में और उसके सामान्य क्रियाकलापों से अलग रखा जाएगा और वह अपेक्षानुसार प्रस्तुत किया जाएगा। यह लेखा वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) द्वारा सशक्त किसी अधिकारी के निरीक्षण के लिए सर्वदा खुला रहेगा।

(घ) ———————————— का लेखा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विवेकानुसार उसके द्वारा नमूना जांच के लिए खुला रहेगा।

(ङ) ———————————— अनुदान के संबंध में लेखाओं के निम्नलिखित विवरण, जिनकी लेखा परीक्षा हो चुकी हो, वित्तीय वर्ष, अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् भारत सरकार के वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) को प्रस्तुत करेगा—

(i) वित्तीय वर्ष के लिए, समग्र रूप में निकाय का प्राप्ति और संदाय का लेखा;

(ii) वित्तीय वर्ष के लिए, समग्र रूप में निकाय का आय और व्यय का लेखा; और

(iii) वित्तीय वर्ष के अन्त में समग्र रूप में निकाय का तुलन-पत्र।

(च) जिस वर्ष के लिए अनुदान मंजूर किया गया है, उस वर्ष के लिए———————————————अपने क्रियाकलाप की रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार के वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, ——————————— क्रियाकलाप की प्रगति के बारे में नियमित कालिक रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्टें और विवरण भी जिनकी समय-समय पर इस मंत्रालय द्वारा मांग की जाए, प्रस्तुत करेगा।

(छ) अनुदान के किसी भी भाग का उपयोग ——————के किसी अन्य दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(ज) ——————सरकारी अनुदान में से पूर्णतः या सारतः अर्जित सभी आस्तियों का अभिलेख, जिसकी लेखा परीक्षा हो चुकी हो, प्ररूप सा० वि० नि० 19 में रखेगा, और इस प्रकार अर्जित आस्तियों का, सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उन प्रयोजनों से भिन्न, जिनके लिए अनुदान मंजूर किया गया है, अन्य प्रयोजनों के लिए न तो व्ययन किया जाएगा, न उन पर विल्लंगम किया जाएगा और न उनका उपयोग किया जाएगा।

(झ) —————— अनुदान की बची हुई रकम, जिसका उपयोग नहीं किया गया है सरकार को वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर वापस कर देगा।

(ञ) —————— ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खरीदेगा जिसमें विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़े, और न सरकार किसी वस्तु के आयात के लिए कोई सहायता देगी।

(ट) जब सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि मंजूर की गई राशि का उपयोग अनुमोदित प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा है तब आगे की किस्तों/अनुदानों का संदाय बंद किया जा सकेगा और पहले के अनुदानों की उन पर ब्याज सहित वसूली ——————————से की जा सकेगी।

उक्त बाध्यता की शर्त यह है कि यदि बाध्यताधारी मंजूरी-पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को विधिवत् पूरा करता है और उनका पालन करता है तो यह बंधपत्र या बाध्यता शून्य और निष्प्रभावी हो जाएगी अन्यथा यह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगी।

यह विलेख इस बात का भी साक्षी है कि इस पर संदेय स्टाम्पशुल्क सरकार देगी।

इसके साक्ष्यस्वरूप बाध्यताधारी ने यह विलेख बाध्यताधारियों के शासी निकाय द्वारा पारित तारीख ——————————के संकल्प के अधीन और उसके अनुसरण में, ऊपर लिखी तारीख को निष्पादित किया है।

(बाध्यताधारी का नाम)

साक्षी

हस्ताक्षर

1. ——————————

——————————

2. ——————————

——————————

राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री ——————

ने स्वीकार किया।

हस्ताक्षर ——————

भाण्डागार बंधपत्र

यह सब को ज्ञात हो कि हम ——————————————————————जो मैसर्स ——————————————————के नाम और अभिनाम से (भागीदारी में) कारबार कर रहे हैं और जिन्हें इसमें आगे "उक्त आयातकर्ता" कहा गया है (इसके अन्तर्गत उनके उत्तरजीवी और तत्समय अन्य भागीदार तथा उनके अपने-अपने वारिस, निष्पादक और प्रशासक भी हैं, जब तक कि ऐसा संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो) स्वयं को, अपने उत्तराधिकारियों, वारिसों, निष्पादकों और प्रशासकों को भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) के प्रति ——————————रु० (——————————रुपए) की रकम का संदाय करने के लिए आबद्ध करते हैं। इसका संदाय पूर्णतः और सही रूप में किए जाने के लिए आयातकर्ता स्वयं को और अपने उत्तराधिकारियों को तारीख ——————के इस विलेख द्वारा भारत के राष्ट्रपति के प्रति दृढ़तापूर्वक आबद्ध करता है :

समुचित प्राधिकारी अर्थात् विकास आयुक्त, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र (जिसे इसमें आगे "क्षेत्र" कहा गया है) ने उक्त आयातकर्ता को उक्त क्षेत्र में, तारीख ——————के अनुज्ञापत्र सं० ——————————के अधीन विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया है, और उक्त आयातकर्ता को केवल निर्यात के लिए, उक्त क्षेत्र में माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए कच्चे माल और उपभोज्य सामान के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है;

उक्त आयातकर्ता यह करार और वचनबंध करता है कि वह समय-समय पर उसे प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उक्त क्षेत्रीय विकास आयुक्त द्वारा उसे आवंटित स्थान में करेगा और समय-समय पर उसे प्राप्त सम्पूर्ण कच्चे माल और उपभोज्य सामान का (जिसे इसमें आगे सामूहिक रूप से "उक्त माल" कहा गया है) उपयोग केवल निर्यात के लिए माल के विनिर्माण में स्वयं करेगा या अपनी ओर से कराएगा तथा ऐसे सब विनिर्मित माल का भारत से बाहर के स्थानों को निर्यात् करेगा;

केन्द्रीय सरकार ने राजपत्र में तारीख 1-5-1971 की अधिसूचना सं० 36/71 द्वारा (जिसे इसमें आगे "उक्त अधिसूचना" कहा गया है) ऐसे कच्चे माल और उपभोज्य सामान को जो उक्त क्षेत्र में, निर्यात के लिए माल के समय-समय पर विनिर्माण के लिए समय-समय पर आयात किया जाता है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 के अधीन उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क और अतिरिक्त शुल्क से तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की, समय-समय पर यथा-संशोधित, अधिसूचना सं० 61, तारीख 11-5-1965 के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय सहायक सीमाशुल्क से छूट दे दी है;

उक्त बंधपत्र की शर्तें निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(i) यदि उक्त आयातकर्ता उक्त माल का सीमाशुल्क पत्तन से उक्त क्षेत्र तक सीमाशुल्क मुद्रा के अधीन और यदि आवश्यक हो तो सीमाशुल्क अनुरक्षक के अधीन, सुरक्षित रूप से ले जाया जाना सुनिश्चित करेगा और उसे इस प्रकार ले जाएगा, और

(ii) यदि उक्त आयातकर्ता ऐसे कच्चे माल और उपभोज्य सामान के संबंध में, जिसकी बाबत सीमाशुल्क के उचित अधिकारी को समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं हुआ है कि उसका उपयोग उक्त क्षेत्र में माल के विनिर्माण में किया गया है

और/या भारत से बाहर के स्थानों को उसका निर्यात किया गया है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 के अधीन सीमाशुल्क और अतिरिक्त शुल्क तथा उस सहायक सीमाशुल्क का, जो यदि केन्द्रीय सरकार की उक्त अधिसूचना न होती तो, ऐसे कच्चे माल या उपभोज्य सामान पर भारतीय वित्त अधिनियम, 1974 के अधीन उद्ग्रहणीय होता, रकम के बराबर रकम का, मांग की जाने पर किसी आपत्ति के बिना संदाय करेगा;

(iii) यदि उक्त आयातकर्ता क्षेत्र के अन्दर माल के आयात की तारीख से छह मास के भीतर या उस बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जो उचित अधिकारी द्वारा मंजूर की जाए, ऐसे विनिर्मित माल का निर्यात भारत से बाहर के स्थानों को करेगा और उस विनिर्मित माल के, जिसका उत्पादन उस क्षेत्र में किया गया है, निर्यात का दस्तावेजी साक्ष्य तीन मास के भीतर उचित अधिकारी के समक्ष पेश करेगा;

(iv) यदि उक्त आयातकर्ता विनिर्मित माल का आवश्यक सीमाशुल्क परीक्षण के पश्चात् मुद्रा के अधीन और यदि आवश्यक हो तो सीमाशुल्क अनुरक्षक के अधीन, उक्त क्षेत्र से निर्यात के सीमाशुल्क पत्तन तक ले जाया जाना सुनिश्चित करेगा और उसे इस प्रकार ले जाएगा तथा भारत से बाहर के स्थानों को निर्यात के लिए उक्त विनिर्मित माल की लदाई करेगा, और

(v) यदि उक्त आयातकर्ता उक्त माल के संबंध में सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए अधिरोपित सभी शास्तियों का उन्मोचन करेगा,

तो उक्त बंधपत्र शून्य हो जाएगा अन्यथा वह पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच उक्त बंधपत्र के भाग रूप यह करार किया जाता है कि:

(i) इस बंधपत्र के अधीन किसी रकम के संदाय का प्रभाव विधि द्वारा उपबंधित किसी दण्ड या शास्ति के लिए उक्त आयातकर्ता के दायित्व पर नहीं पड़ेगा।

(ii) बंधपत्र के अंतर्गत आने वाला वह माल जो आयातकर्ता को प्राप्त हुआ है, उचित अधिकारी से पहले ही लिखित अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी बैंक या किसी पक्षकार के पास बंधक या गिरवी नहीं रखा जाएगा।

(iii) इस बारे में कि उक्त आयातकर्ता ने उस विनिर्मित माल का, जिसका उत्पादन उक्त क्षेत्र में उक्त कच्चे माल और उपभोज्य सामान की सहायता से किया गया है, निर्यात किया है या नहीं अथवा इस बारे में कि विनिर्मित माल के निर्यात के समर्थन में दिया गया उक्त साक्ष्य पर्याप्त या संतोषप्रद है या नहीं अथवा इस बारे में कि क्या उक्त आयातकर्ता पूर्वगामी बंधपत्र की किसी शर्त का अनुपालन, पालन करने में या उसे पूरा करने में असफल रहा है, उचित अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और उक्त आयातकर्ता पर आबद्धकर होगा।

(iii) यह बंधपत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश के अधीन और ऐसा कार्य करते हुए, जिसमें जनता हितबद्ध है, निष्पादित किया गया है;

(iv) इस बंधपत्र के अधीन शोध्य रकम, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 142 की उपधारा (1) में बताई गई रीति से वसूल की जा सकेगी और इसकी वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री———————————— ने

———————————
(पक्षकार के हस्ताक्षर)

1. ———————————— (साक्षी के हस्ताक्षर)

———————————— (साक्षी का नाम और पता)

2. ————————————
(साक्षी के हस्ताक्षर)

इस पर आज तारीख ———— को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

———————————
(साक्षी का नाम और पता)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया।

———————————
सुरक्षा अधिकारी,
कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से मैं इसे स्वीकार करता हूं।

———————————
सहायक सीमाशुल्क कलक्टर,
कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र।

माल के आयातकर्ता के लिए बंधपत्र

यह सबको ज्ञात हो कि हम (1) ——————————————————————————————का—————————————————— (जिसे इसमें आगे "आयातकर्ता" कहा गया है) जिसके अन्तर्गत उसके/उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है और (2)—————————————————————————— (जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है) जिसके अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हो, इसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी हैं, संयुक्ततः और पृथक्तः भारत के राष्ट्रपति के प्रति जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है—————————रु० का संदाय उक्त सरकार या उसके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती को करने के लिए वचनबद्ध हैं और दृढ़तापूर्वक आबद्ध हैं। यह संदाय करने के लिए हम और हममें से प्रत्येक स्वयं को, अपने-अपने प्रत्येक वारिस, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती को (जो शब्द लागू न हो उसे काट दें) आज तारीख——————————के इस विलेख द्वारा संयुक्ततः और पृथक्तः आबद्ध करते हैं।

आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक ने (जिसे इसमें आगे संयुक्त मुख्य नियंत्रक कहा गया है और इसके अन्तर्गत उस समय उक्त संयुक्त मुख्य नियंत्रक के कृत्यों का निर्वहन करने वाला व्यक्ति भी है) इसमें आगे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल (जिसे इसमें आगे "आयातित माल" कहा गया है) को ता०——————की अनुज्ञप्ति सं०——————————के अधीन——————————पत्तन पर कतिपय शर्तों और निबंधनों पर आयात करने और उसकी निकासी करने की अनुमति दे दी है।

एक निबंधन यह है कि आयातकर्ता इसमें इसके पूर्व लिखित रीति में पर्याप्त प्रतिभू सहित एक बंधपत्र उन शर्तों के साथ निष्पादित करेगा जो इसमें आगे दी गई हैं।

ऊपर लिखित बंधपत्र की शर्तें इस प्रकार हैं, अर्थात् प्रथमतः, यदि उक्त आयातकर्ता तारीख————————से छह मास अथवा उक्त आयात और निर्यात संयुक्त मुख्य नियंत्रक——————————द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय के भीतर, आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के बराबर मूल्य का माल नेपाल, तिब्बत और भूटान को छोड़कर, विदेशों को निर्यात करेगा।

द्वितीयतः यदि उक्त आयातकर्ता और/या उसका प्रतिभू उपर्युक्त अवधि की समाप्ति की तारीख से एक मास के भीतर यह साबित करने के लिए साक्ष्य प्राप्त करेगा और संयुक्त मुख्य नियंत्रक को परिदत्त करेगा या पेश और परिदत्त करवाएगा कि आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के————————————प्रतिशत के बराबर मूल्य का उक्त————————————का पूर्वोक्त रूप से निर्यात कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त वहन पत्र, बीजक, बैंक प्रमाणपत्र आदि जैसे साक्ष्य भी पेश करेगा या कराएगा जिनसे यह दर्शित होता है कि इस प्रकार निर्यात किए गए माल के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के संदाय के रूप में प्राप्त विदेशी मुद्रा के समतुल्य रुपए उपरोक्त अनुज्ञप्तियों के अधीन आयातित माल के लागत-बीमा-भाड़ा सहित मूल्य के————————प्रतिशत से कम नहीं है तो ऊपर लिखित बंधपत्र शून्य और निष्प्रभाव हो जाएगा अन्यथा यह बंधपत्र पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगा।

इसके द्वारा यह घोषणा की जाती है कि—

(क) उक्त बंधपत्र, उक्त आयातित माल के आयात की तारीख से————— वर्ष की अवधि के लिए पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगा।

(ख) आयातकर्ता के विरुद्ध उपरोक्त बंधपत्र की शर्तों को लागू करने में सरकार की ओर से किसी प्रविरति, कार्य या लोप या सरकार द्वारा आयातकर्ताओं को उसके संबंध में मंजूर किए गए किसी समय या बरती गई किसी उदारता के कारण प्रतिभू उन्मोचित नहीं होगा।

(ग) यह बंधपत्र केन्द्रीय सरकार के आदेश से ऐसा कार्य करने के लिए निष्पादित किया गया है जिसमें जनता हितबद्ध है।

(घ) बंधपत्र की रकम के संदाय से आयातकर्ताओं के ऐसी किसी अन्य कार्रवाई के लिए (जिसके अन्तर्गत और आगे अनुज्ञप्तियां दी जाने से इंकार किया जाना भी है) दायित्व पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के अधीन की जाए।

यह करार हुआ है कि इस बंधपत्र पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क का संदाय सरकार करेगी।

ऊपर निर्दिष्ट अयातित माल की अनुसूची

इसके साक्ष्यस्वरूप ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस विलेख के पक्षकारों ने इसे सम्यक् रूप से निष्पादित किया।

उक्त आयातकर्ता ——————————ने

1.

2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया।

(साक्षियों को चाहिए कि वे अपनी उपजीविका और पता भी लिखें।)

उक्त प्रतिभू——————————ने

1.

2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए, मुद्रा लगाई और परिदान किया।

(साक्षियों को चाहिए कि वे अपनी उपजीविका और पता भी लिखें)

भारत के राष्ट्रपति के लिए उनकी ओर से।

प्रतिभू-बन्धपत्र

हम (1)————————————————————————

————————————————————————————

(2)———————————————————————————

————————————————————————————

इसके द्वारा श्री————————————————————————
(जिसे इसमें आगे "आबद्ध" कहा गया है) के लिए स्वयं को प्रतिभू घोषित करते हैं और इसके द्वारा यह प्रत्याभूति देते हैं कि आबद्ध वह सब कार्य करेगा जिसको करने का वचन-बंध उसने भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में निष्पादित तारीख————के बंधपत्र के अधीन किया है और हम भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है)————रु० (————रुपए) की राशि का संदाय करने के लिए स्वयं को, अपने वारिसों, पनिष्पादकों और प्रशासकों को आबद्ध करते हैं। यह राशि आबद्ध द्वारा उक्त बंधपत्र के अधीन शोध्य और संदेय रकम है या वह राशि है जो सरकार उसको आबद्ध के व्यतिक्रम के कारण हुई किसी हानि या नुकसान की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझे। इसके द्वारा हम यह करार भी करते हैं कि सरकार, किन्हीं अन्य अधिकारों और उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त राशि को हमसे भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगी। इसके अतिरिक्त हम यह करार भी करते हैं कि उक्त बन्धपत्र के प्रवर्तन में कोई प्रविरति, अथवा आबद्ध को दिया गया कोई अन्य अनुग्रह या उक्त बन्धपत्र में उनके निबन्धनों में कोई परिवर्तन या आबद्ध को दिया गया कोई समय अथवा ऐसी अन्य शर्तें या परिस्थितियां जिनके अधीन विधि की दृष्टि में प्रतिभू उन्मोचित हो जाएगा, उक्त राशि का संदाय करने के हमारे दायित्व से हमें उन्मोचित नहीं करेगी तथा इस बन्धपत्र के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए इस बन्धपत्र के अधीन हमारा दायित्व मूल क्षेणियों के रूप में तथा आबद्ध के दायित्व के साथ संयुक्त और पृथक् रूप में होगा।

तारीख————————————19——

उक्त प्रतिभुओं, अर्थात्—

श्री————————

और

श्री————————

ने

श्री————————(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

————————(साक्षी के हस्ताक्षर)

श्री————————(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

————————(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

शिक्षुता संविदा

यह संविदा एक पक्षकार के रूप में प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद जो फरीदाबाद में कारबार चला रहा है (जिसे इसमें आगे "नियोजक" कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में शिक्षु, श्री————————जो श्री————————का पुत्र और————————का निवासी है, (जिसे इसमें आगे "शिक्षु" कहा गया है), संरक्षक श्री ————————जो श्री————————का पुत्र और———————— का निवासी है (जिसे इसमें आगे "संरक्षक" कहा गया है) तथा तीसरे पक्षकार के रूप में श्री————————जो श्री————————का पुत्र और———— ————————का निवासी है (जिसे इसमें आगे "प्रतिभू" कहा गया है) और इसके अन्तर्गत, जब तक वे संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध न हों, उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, विधिक प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी और समनुदेशिती समझे जाएंगे, के बीच आज तारीख————————को की गई।

संरक्षक ने नियोजक से प्रार्थना की है कि वह शिक्षु को———————— ————————के व्यवसाय में या अन्य ऐसे व्यवसाय में, जिसके लिए वह शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन अभिहित परिवीक्षा अवधि के दौरान उपयुक्त पाया जाए, प्रशिक्षण के लिए शिक्षु के रूप में रख ले।

नियोजक अपना यह समाधान कर लेने पर कि शिक्षु के पास शिक्षु अधिनियम 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन शिक्षु के रूप में रखे जाने के लिए सब अपेक्षित अर्हताएं हैं, उसे उन निबंधनों पर, जो इसमें आगे उल्लिखित है, अपने स्थापन में शिक्षु के रूप में रखने के लिए सहमत हो गया है।

यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है और पक्षकारों द्वारा और उनके बीच परस्पर निम्नलिखित करार किया जाता है:—

1. नियोजक, शिक्षु को————————————के अभिहित व्यवसाय में या ऐसे अन्य व्यवसाय में जिसके लिए वह परिवीक्षा की अवधि के दौरान उपयुक्त पाया जाए, शिक्षु के रूप में रखने के लिए करार करता है और संरक्षक करार करता है कि शिक्षु, नियोजक के शिक्षु के रूप में सेवा करेगा, जैसा इसमें आगे उपबंधित है।

2. प्रशिक्षण की अवधि————————वर्ष होगी, जो उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिसको शिक्षु से प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। यदि शिक्षु उक्त अवधि के भीतर शिक्षुता का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने में या अंतिम परीक्षा देने में, रुग्णता या अपने नियंत्रण से परे अन्य परिस्थितियों के कारण असमर्थ हो जाता है तो नियोजक शिक्षुता सलाहकार द्वारा अपेक्षा की जाने पर, उसकी शिक्षुता-अवधि तब तक बढ़ा देगा जब तक कि वह संपूर्ण शिक्षुता पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता/कर लेती है और अगली परीक्षा नहीं हो जाती है। प्रशिक्षण की अवधि को नियोजक इसी प्रकार उस दशा में भी बढ़ा सकता है जब शिक्षु ने पाठ्यक्रम तो पूरा कर लिया हो किन्तु अंतिम परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण रहा हो। यदि शिक्षु द्वितीय परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण रहता है तो उसके प्रशिक्षण की अवधि और नहीं बढ़ाई जाएगी।

3. शिक्षु का संरक्षक घोषणा करता है कि प्रथम परिवर्णन में उल्लिखित शिक्षु की बाबत उसके और किसी अन्य नियोजक के बीच पहले से ही शिक्षुता की कोई अन्य संविदा विद्यमान नहीं है और इस बात का वचनबंध करता है कि इस शिक्षुता की इस संविदा की समाप्ति या पर्यवसान से पूर्व वह पूर्वोक्त शिक्षु के संबंध में किसी अन्य नियोजक के साथ शिक्षुता की कोई अन्य संविदा नहीं करेगा।

4. इसमें इसके पूर्व और इसके आगे जैसा उपबंधित है उसके अधीन रहते हुए, शिक्षुता की संविदा, शिक्षुता-प्रशिक्षण की अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो जाएगी।

प्रशिक्षण की अवधि के प्रथम छह मास, परिवीक्षा अवधि माने जाएंगे। दोनों में से कोई भी पक्षकार संविदा की पूर्वतर समाप्ति के लिए केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार को आवेदन कर सकेगा और यदि ऐसा आवेदन किया जाता है तो आवेदन करने वाला पक्षकार ऐसे आवेदन की एक प्रति संविदा के दूसरे पक्षकार को डाक द्वारा भेजेगा। केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार आवेदन की विषयवस्तु और उन आक्षेपों पर, यदि कोई हों, जो दूसरे पक्षकार द्वारा फाइल किए गए हों, विचार करने के पश्चात् संविदा को तब समाप्त कर सकेगा जब कि उसका समाधान हो जाता है कि संविदा के पक्षकार या उनमें से कोई संविदा के निबंधनों और शर्तों का पालन करने में असफल रहे हैं/रहा है और पक्षकारों या उनमें से किसी के हित में उसकी समाप्ति वांछनीय है :

परन्तु अनुसूची 1 और 2 में उल्लिखित रकमें एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को इस आधार पर संदेय हो जाएंगी कि असफलता नियोजक की ओर से हुई है या शिक्षु की ओर से :

परन्तु यह और कि यदि नियोजक शिक्षु के परिवीक्षा पर होने की अवधि के दौरान, संविदा की समाप्ति के लिए इस आधार पर केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार से आवेदन करता है कि परिवीक्षाधीन शिक्षु उस व्यवसाय में शिक्षुता-प्रशिक्षण के लिए उपर्युक्त नहीं पाया गया है जिसमें उसे रखा गया था, तथा उसने उस अन्य अभिहित व्यवसाय में शिक्षुता प्रशिक्षण लेने से इंकार कर दिया है जिसके लिए उसे नियोजक द्वारा उपयुक्त पाया गया है, तथा यदि केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार का नियोजक के आवेदन की विषय-वस्तु और दूसरे पक्षकार द्वारा फाइल किए गए आक्षेपों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, समाधान हो जाता है कि पक्षकारों या उनमें से किसी के हित में संविदा की समाप्ति वांछनीय है तो नियोजक को शिक्षु को कोई प्रतिकर नहीं देना होगा।

5. नियोजक के लिए यह बाध्यकर नहीं होगा कि वह शिक्षु को उसके शिक्षुता-प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर अपने स्थापन में कोई नियोजन दे और न ही शिक्षु के लिए यह बाध्यकर होगा कि वह नियोजक के अधीन कोई नियोजन स्वीकार करे।

6. नियोजक अनुसूची 1 में उल्लिखित अपनी बाध्यताओं का पालन करेगा तथा शिक्षु भी अनुसूची 2 में उल्लिखित अपनी बाध्यताओं का पालन करेगा।

7. यदि नियोजक और शिक्षु के संरक्षक के बीच इस संविदा से कोई असहमति या विवाद उत्पन्न होता है तो वह विनिश्चय के लिए केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार को निर्देशित किया जाएगा। केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय की उसे संसूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर, विनिश्चय के विरुद्ध केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील की सुनवाई और अवधारण उस परिषद् की इस प्रयोजन के लिए नियुक्त समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसी समिति का विनिश्चय तथा ऐसे विनिश्चय के अधीन रहते हुए केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

8. (क) शिक्षु द्वारा संविदा के निबंधनों और शर्तों के पालन न किए जाने के कारण शिक्षुता की संविदा के समाप्त हो जाने की दशा में प्रतिभू शिक्षु के संरक्षक के आवेदन पर, नियोजक को ऐसी रकम का संदाय करने की प्रत्याभूति देता है जो शिक्षु के प्रशिक्षण के खर्च के रूप में और उस लेखे केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार अवधारित करे।

(ख) प्रतिभू का दायित्व किसी भी समय 500 रु० (केवल पांच सौ रुपए) तथा उस पर छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज से अधिक नहीं होगा।

(ग) यदि नियोजक किसी ऐसी धन राशि का, जिसका संदाय इसके द्वारा प्रतिभूत किया जाना आशयित है, संदाय कराने में उपेक्षा या प्रविरति करता है अथवा उसके संदाय के लिए समय में वृद्धि करता है तो इससे प्रतिभू को इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति के अधीन उसके दायित्व से किसी भी प्रकार निर्मुक्ति नहीं मिलेगी।

(घ) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति पर नियोजक के गठन में या प्रतिभू के गठन में हुए किसी परिवर्तन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने इस पर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस विलेख को निष्पादित किया।

ऊपर नामित नियोजक श्री————————————ने
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :—

(1) (साक्षी का नाम, पता, व्यवसाय और हस्ताक्षर)

————————————— **नियोजक के हस्ताक्षर**

(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) (साक्षी का नाम, पता, व्यवसाय और हस्ताक्षर)

————————————

(साक्षी के हस्ताक्षर)

ऊपर नामित शिक्षु के संरक्षक श्री————————————ने
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :—

(1) ————————————— **शिक्षु के संरक्षक के हस्ताक्षर**
(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

————————————

(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) ————————————
(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

————————————

(साक्षी के हस्ताक्षर)

शिक्षु के ऊपर नामित प्रतिभू श्री————————————ने
निम्नलिखित की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए :—

(1) ————————————————
(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय) **प्रतिभू के हस्ताक्षर**

————————————

(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) ————————————
(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

————————————

(साक्षी के हस्ताक्षर)

अनुसूची 1

नियोजक की बाध्यताएं

1. नियोजक केन्द्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम और केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से अनुमोदित पाठ्य-विवरण के अनुसार शिक्षु को व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ज्ञान कराने के लिए, अपनी कर्मशाला में समुचित व्यवस्था करेगा।

2. नियोजक, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्य-विवरण के अनुसार शिक्षु को बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ज्ञान कराने के लिए, या तो कर्मशाला भवन में अलग भागों में या नियोजक द्वारा स्थापित किए गए किसी अलग भवन में समुचित व्यवस्था करेगा।

[जहां अधिनियम की धारा 9(4) लागू होती है, वहां अन्त : स्थापित करें]

अथवा

2. नियोजक, सरकार द्वारा स्थापित किसी प्रशिक्षण संस्थान में अथवा ऐसे किसी संस्थान में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, केन्द्रीय शिक्षुता परिषद् के परामर्श से अनुमोदित पाठ्य-विवरण के अनुसार शिक्षु को बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ज्ञान कराता है, समुचित व्यवस्था करेगा।

[जहां अधिनियम की धारा 9(5) लागू होती है, वहां अन्त : स्थापित करें]

3. नियोजक, शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 10 द्वारा यथा अपेक्षित सम्बद्ध शिक्षण प्राप्त करने के लिए शिक्षु को जाने देगा और ऐसी कक्षाओं में हाजिर होने में लगने वाले समय को उसके काम की अवधि का भाग माना जाएगा।

4. (क) नियोजक शिक्षु को वृत्तिका का संदाय इस प्रकार करेगा :— शिक्षुता के प्रथम वर्ष के दौरान————————रु० प्रतिमास, दूसरे वर्ष के दौरान ———————— रु० प्रतिमास और तीसरे वर्ष के दौरान————————रु० प्रतिमास।

(ख) संबंधित मास की वृत्तिका, अगले मास की 10 तारीख तक द दी जाएगी। शिक्षु के आकस्मिक या चिकित्सीय छुट्टी पर रहने की अवधि के लिए वृत्तिका में से कोई कटौती नहीं की जाएगी। किन्तु उस अवधि के लिए वृत्तिका नहीं दी जाएगी जिसमें शिक्षु असाधारण छुट्टी पर रहता है।

5. (1) व्यावहारिक प्रशिक्षण पाने के दौरान शिक्षु के साप्ताहिक काम के घंटे निम्न प्रकार होंगे :—

(i) प्रति सप्ताह काम के कुल घंटे 42 से 48 तक होंगे (इनमें सम्बद्ध शिक्षण में लगा समय भी सम्मिलित है)।

(ii) बुनियादी प्रशिक्षण लेने वाला शिक्षु सामान्यतया प्रति सप्ताह 42 घन्टे काम करेगा (इनमें सम्बद्ध शिक्षण में लगा समय भी सम्मिलित है)।

(iii) शिक्षुता के दूसरे वर्ष के दौरान शिक्षु प्रति सप्ताह 42 घंटे से 45 घंटे काम करेगा (इसमें सम्बद्ध शिक्षण में लगा समय भी सम्मिलित है)।

(iv) शिक्षुता के तीसरे और पश्चात्वर्ती वर्ष के दौरान शिक्षु उतने ही घंटे प्रति सप्ताह काम करेगा जितने कि स्थापन के उस व्यवसाय में, जिसमें शिक्षु प्रशिक्षण पा रहा है, कर्मकार काम करते हैं : परन्तु अल्पकालिक शिक्षुओं को 48 घंटे प्रति सप्ताह तक काम करने के लिए लगाया जा सकेगा।

(2) शिक्षुता सलाहकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, जो अपना ऐसा अनुमोदन तब देगा जब उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना शिक्षु के प्रशिक्षण के हित में या लोक हित में है, अल्पकालिक शिक्षु से भिन्न किसी अन्य शिक्षु को 10 बजे रात्रि से 6 बजे प्रातः के बीच ऐसे प्रशिक्षण पर नहीं लगाया जाएगा।

6. यदि शिक्षुता की संविदा, नियोजक की ओर से संविदा के निबंधनों और शर्तों के पालन में असफल रहने के कारण समाप्त की जाती है, तो वह शिक्षु के संरक्षकों को निम्नलिखित दरों के अनुसार प्रतिकर देगा :—

(i) शिक्षुता ग्रहण करने की तारीख से 12 मास की अवधि के भीतर समाप्ति के लिए . . . . . —रु०

(ii) 12 मास बीतने के पश्चात् किन्तु 24 मास बीतने के पूर्व समाप्ति के लिए . . . . . —रु०

(iii) 24 मास बीतने के पश्चात् समाप्ति के लिए . . —रु०

7. (1) नियोजक शिक्षु को छुट्टी नीचे लिखे अनुसार देगा—

(i) वर्ष में अधिक से अधिक 12 दिन की आकस्मिक छुट्टी/आकस्मिक छुट्टी की अवधि के दौरान आने वाले किसी भी अवकाश दिन को 12 दिन की उक्त सीमा के प्रयोजन के लिए, गिना नहीं जाएगा। किसी वर्ष के दौरान न ली गई आकस्मिक छुट्टी, वर्ष के अन्त में व्यपगत हो जाएगी।

(ii) प्रशिक्षण के प्रत्येक वर्ष में 15 दिन तक की चिकित्सा छुट्टी उस शिक्षु को दी जाएगी जो बीमारी के कारण काम पर उपस्थित होने में असमर्थ है। न ली गई छुट्टी अधिक से अधिक 40 दिन तक संचित हो सकेगी। चिकित्सा छुट्टी की अवधि के अन्तर्गत आने वाले अवकाश दिन को, चिकित्सा छुट्टी माना जाएगा। नियोजक शिक्षु से उसकी चिकित्सा छुट्टी के समर्थन में शिक्षुता नियम, 1962 में यथा-परिभाषित रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का चिकित्सा प्रमाणपत्र पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा। यदि चिकित्सा छुट्टी 6 दिन से अधिक की ली जाती है तो चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक होगा। यदि नियोजक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि शिक्षु वास्तव में बीमार नहीं है या उसकी बीमारी ऐसी प्रकृति की नहीं है जिससे कि शिक्षु हाजिर न हो सके, तो वह शिक्षु की विशेष चिकित्सीय परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा।

(iii) चिकित्सा छुट्टी के साथ आकस्मिक छुट्टी नहीं जोड़ी जाएगी। यदि चिकित्सा छुट्टी के पहले या बाद में आकस्मिक छुट्टी ली जाती है तो ली गई सब छुट्टी या तो चिकित्सा छुट्टी या आकस्मिक छुट्टी मानी जाएगी : परन्तु यह, यथास्थिति, चिकित्सा या आकस्मिक छुट्टी के बारे में विहित अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होने दी जाएगी।

असाधारण छुट्टी : शिक्षु द्वारा समस्त आकस्मिक छुट्टी या चिकित्सा छुट्टी ले ली जाने के पश्चात् उसे वर्ष में अधिक से अधिक 10 दिन तक की असाधारण छुट्टी मंजूर की जा सकेगी, किन्तु यह तब जब नियोजक का उन कारणों की बाबत समाधान हो जाता है जिनके आधार पर छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है।

(2) ऐसे स्थापनों में जहां कर्मकारों के लिए समुचित छुट्टी नियम विद्यमान हैं, नियोजकों द्वारा शिक्षुओं को छुट्टी इन नियमों में अनुसार और निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाएगी, अर्थात्:—

(क) ऐसे स्थापन में जिसमें सप्ताह में पांच दिन (प्रति सप्ताह कुल 45 घंटे) काम होता है, नियोजित शिक्षु प्रशिक्षण के दौरान वर्ष में कम से कम 200 दिन हाजिर रहेगा जिनमें से 1/6 अर्थात् 33 दिन सम्बद्ध शिक्षण में और 167 दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण में लगाए जाएंगे।

(ख) ऐसे स्थापन में जिसमें सप्ताह में पांच या छह दिन काम होता है, नियोजित शिक्षु, वर्ष में कम से कम 240 दिन हाजिर रहेगा जिसमें 1/6 अर्थात् 40 दिन संबद्ध प्रशिक्षण में और 200 दिन व्यावहारिक प्रशिक्षण में लगाए जाएंगे।

(ग) यदि शिक्षु खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अवधि तक, किसी कारण से प्रशिक्षण पाने में असमर्थ रहता है तो उसे आगामी वर्ष में उसको पूरा करने का अवसर दिया जाएगा और वह राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा देने का पात्र केवल तभी होगा:—

(i) यदि वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट स्थापन में नियोजित है, तो जब उसने प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है और इस बात के अनुसार कि प्रशिक्षण अवधि तीन वर्ष है या चार वर्ष है, उसने 600 दिन या 800 दिन की न्यूनतम हाजिरी पूरी कर ली है।

(ii) यदि वह खण्ड (ख) में निर्दिष्ट स्थापन में नियोजित है तो जब उसने प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है और इस बात के अनुसार कि प्रशिक्षण अवधि तीन वर्ष या चार वर्ष है उसने 720 दिन या 960 दिन की न्यूमतम हाजिरी पूरी कर ली है।

(3) यदि शिक्षु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उपनियम (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट हाजिरी की न्यूनतम अवधि, ऐसी परिस्थितियों के कारण जो उसके नियंत्रण से परे हों पूरी करने में असमर्थ रहता है और नियोजक का हाजिरी में कमी के आधारों की बबत समाधान हो जाता है और वह यह प्रमाणित करता है कि शिक्षु ने अन्यथा शिक्षुता पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, तो यह समझा जाएगा कि उसने प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है और वह राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा देने के लिए पात्र होगा/होगी।

(4) यदि शिक्षु प्रशिक्षण अवधि के दौरान उपनियम (2) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट हाजिरी की न्यूनतम अवधि पूरी करने में असमर्थ रहता है और उसने सम्पूर्ण शिक्षुता पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, तो, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने प्रशिक्षण की अवधि पूरी कर ली है और नियोजक, नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन उसके प्रशिक्षण की अवधि तब तक बढ़ा सकेगा जब तक वह शिक्षुता पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता/लेती और अगली परीक्षा हो नहीं जाती।

8. नियोजक शिक्षु को वे अवकाश दिन लेने देगा जो स्थापन में मनाए जाते हैं।

9. यदि किसी शिक्षु को, शिक्षु के रूप में उसके प्रशिक्षण से उद्भूत और उसके अनुक्रम में दुर्घटनावश कोई वैयक्तिक क्षति हो जाती है तो नियोजक शिक्षु को, शिक्षु अधिनियम, 1961 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरों के अधीन रहते हुए, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर देगा।

नियोजक के हस्ताक्षर

शिक्षु के संरक्षक के हस्ताक्षर

अनुसूची 2

शिक्षु की बाध्यताएं

1. शिक्षु, आचरण और अनुशासन की सब बातों में स्थापन के नियमों और विनियमों का पालन करेगा तथा नियोजक और स्थापन के वरिष्ठ अधिकारियों के सब विधिपूर्ण आदेशों का पालन करेगा।

2. शिक्षु प्रशिक्षणार्थी के रूप में आचरण करेगा, न कि कर्मकार के रूप में; वह अपने व्यवसाय को निष्ठापूर्वक और तत्परतापूर्वक सीखेगा और प्रशिक्षण को अवधि समाप्त होने से पूर्व अपने व्यवसाय में कुशल शिल्पकार के रूप में अर्हित होने का प्रयास करेगा। शिक्षु अधिनियम, 1961 में यथाउपबंधित के सिवाय, श्रम के बारे में किसी भी विधि के उपबंध उसे लागू नहीं होंगे।

3. शिक्षु व्यावहारिक (बुनियादी और शापफ्लोर) प्रशिक्षण और संबद्ध शिक्षण कक्षाओं में नियमित रूप से हाजिर रहेगा।

4. शिक्षु उन कालिक परीक्षाओं में बैठेगा जो नियोजक या अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ली जाएं, और उस अंतिम परीक्षा में भी बैठेगा जो उस व्यवसाय में प्रवीणता का प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए व्यवसायिक कार्यों में प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा ली जाएं।

5. जहां शिक्षुता की संविदा, शिक्षु द्वारा संविदा के निबंधनों का पालन करने में असफल रहने के कारण समाप्त कर दी जाती है वहां शिक्षु का संरक्षक नियोजक को प्रशिक्षण के खर्च के रूप में उतनी रकम देगा जो केन्द्रीय/राज्य शिक्षुता सलाहकार द्वारा अवधारित की जाए।

6. नितान्त अत्यावश्यकता की दशा के सिवाय, शिक्षु चिकित्सा छुट्टी से भिन्न सभी छुट्टियों के लिए आवेदन समुचित प्राधिकारी को देगा और छुट्टी पर जाने के पूर्व मंजूरी प्राप्त करेगा।

7. शिक्षु का संरक्षक, शिक्षुता की इस संविदा के अवसान या समाप्ति के पूर्व, किसी अन्य नियोजक के साथ उस शिक्षु की बाबत जो प्रथम परिवर्णन में उल्लिखित है, शिक्षुता की कोई अन्य संविदा नहीं करेगा।

नियोजक के हस्ताक्षर कार्यालय की मुद्रा सहित

शिक्षु के संरक्षक के हस्ताक्षर

पट्टाधृत स्थलों पर संनिर्मित भवन का हस्तांतरण विलेख

यह करार एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे 'विक्रेता' कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में .....जो .....का पुत्र है और .....(राज्य) .....का है (जिसे इसमें आगे "क्रेता" कहा गया है) के बीच तारीख .....को किया गया।

इसमें आगे वर्णित स्थल और भवन विक्रेता के स्वामित्व में है और उस पर उसका पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार है।

"क्रेता" ने तारीख .....के पट्टा-विलेख द्वारा उक्त स्थल को पट्टे पर लिया है।

विक्रेता ने उस दुकान/फ्लैट का, जिसका पूर्ण वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में दिया हुआ है (जिसको इसमें आगे उक्त सम्पत्ति कहा गया है).....रु० की कीमत पर विक्रय करने के लिए और क्रेता ने उसका क्रय करने के लिए करार किया है।

क्रेता ने इस विलेख के निष्पादन पर और/या इसके पूर्व.....को .....रु० की राशि का, जो क्रय धन है, संदाय कर दिया है। (जिसकी प्राप्ति विक्रेता इसके द्वारा स्वीकार और अभिस्वीकार करता है तथा उससे क्रेता को निर्मुक्त करता है)।

अब यह करार इस बात का साक्षी है कि उक्त विक्रय को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए और क्रेता की इसमें आगे अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं के तथा क्रेता द्वारा पूर्वोक्त रीति में .....रु० का उक्त रकम का संदाय करने के प्रतिफलस्वरूप, विक्रेता इसमें आगे लिखित अनुसूची में वर्णित भवन का अनुदान, हस्तांतरण, निर्मोचन क्रेता को करता है।

क्रेता इसमें आगे उल्लिखित अपवादों, आरक्षणों, शर्तों और प्रसंविदाओं में से प्रत्येक के अधीन रहते हुए उक्त सम्पत्ति को प्राप्त करेगा और धारण करेगा तथा उसका उपयोग करेगा, अर्थात्:—

(1) क्रेता कब्जा और उपभोग के अधिकार का उपभोग तब तक करेगा जब तक कि वह विक्रय के निबंधनों और शर्तों के अनुरूप कार्य करता है।

(2) क्रेता उन सभी साधारण और स्थानीय करों, रेटों और उपकरों का संदाय करेगा जो उक्त सम्पत्ति पर विक्रेता द्वारा या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस समय अधिरोपित या निर्धारित हैं अथवा इसके पश्चात् किसी समय अधिरोपित या निर्धारित किए जाएं।

(3) क्रेता स्थानीय प्राधिकारी की लिखित रूप में पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना संरचना में बाहरी या आंतरिक कोई परिवर्तन और/या परिवर्धन नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, यदि उक्त प्राधिकारी द्वारा मांग की जाए तो क्रेता भवन में परिवर्धन और/या परिवर्तन करने के लिए नक्शे, परिच्छेद [सेक्शन], खड़े-नक्शे [एलीवेशन्स] और विनिर्देश दो प्रतियों में प्रस्तुत करेगा और सन्निर्माण कार्य तब तक आरंभ नहीं करेगा जब तक कि उक्त प्राधिकारी और विक्रेता का लिखित रूप में अनुमोदन प्राप्त नहीं हो जाता है।

(4) क्रेता संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के निदेशानुसार उक्त सम्पत्ति को स्वच्छ हालत में रखेगा।

(5) क्रेता, विक्रेता या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी की लिखित रूप में पूर्व सहमति के बिना उक्त सम्पत्ति का उपयोग.....के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

(6) विक्रेता यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्रेता ने उन प्रसंविदाओं और शर्तों का सम्यक् रूप से पालन किया है जिनका इस विलेख के अधीन उसे पालन करना है, 24 घंटे की लिखित सूचना देकर उक्त सम्पत्ति के किसी भाग में सभी युक्ति-युक्त समयों पर और उचित रीति से, अपने अधिकारियों और सेवकों के द्वारा प्रवेश कर सकेगा।

(7) विक्रेता को अधिकारियों या सेवकों के माध्यम से ऐसे सभी कार्य या बातें करने का जो इसमें अन्तर्विष्ट सभी या किन्हीं निबंधनों, शर्तों और आरक्षणों का अनुपालन कराने के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसे सभी या कोई कार्य और बात करने का खर्च तथा उसके संबंध में या उससे सम्बद्ध किसी भी रूप में उपगत सभी खर्च क्रेता से उक्त सम्पत्ति पर प्रथम भार के रूप में वसूल करने का पूरा अधिकार, शक्ति और प्राधिकार सदैव होगा।

(8) यदि क्रेता इसमें अन्तर्विष्ट किसी ऐसी प्रसंविदा का, जिसका पालन उसे करना है, भंग या अनुपालन करता है तो ऐसी किसी भी दशा में इस बात के होते हुए भी कि किसी पूर्व हेतुक का या पुनः प्रवेश के अधिकार का अधित्यजन कर दिया गया है विक्रेता के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उक्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग में प्रवेश करे और अपनी पूर्ववर्ती सम्पदा के रूप में उसका पुनः कब्जा ले ले, उसे प्रतिधारित करे और उसका उपभोग करे और ऐसे पुनर्ग्रहण के कारण क्रेता, क्रय मूल्य या उसके किसी भाग के प्रतिदाय का या किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(9) यदि और जब तक क्रेता इसमें किए गए और उपबंधित, किन्तु जो अन्यथा न हों, प्रत्येक और सभी निबंधनों और शर्तों का पूरी तरह पालन और अनुपालन करेगा तथा पालन और अनुपालन करता रहेगा, तो और तब तक विक्रेता यह सुनिश्चित करेगा कि इसमें और इसके द्वारा हस्तांतरित अधिकार और विशेषाधिकारों का पूर्ण और निर्बाध उपभोग क्रेता कर सके।

(10) यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यह हस्तांतरणपत्र सभी प्रकार से, इसमें इसके पूर्व निर्दिष्ट स्थल के पट्टा-विलेख में अन्तर्विष्ट निबंधनों और प्रसंविदाओं के अधीन रहेगा।

(11) यदि इस विलेख और इसके प्रत्येक उपबंध, इसके द्वारा आरक्षित सम्पत्ति और अधिकार या उनमें से किसी की बाबत या किसी भी रीति में उनके अनुषंग या संबंध में विक्रेता और क्रेता के बीच कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो वह विवाद या मतभेद विक्रेता द्वारा नामनिर्दिष्ट एकमात्र मध्यस्थ को निर्देशित किया जाएगा और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम और इसके पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(12) क्रेता सीढ़ी और गलियारे को न तो घेरेगा, न ऐसा कोई सन्निर्माण करेगा और न उसमें ऐसा कोई सामान रखेगा जिससे उसके सामान्य उपयोग में किसी प्रकार की बाधा पड़े।

यदि कोई भी पक्षकार मामले को, अन्य पक्षकार द्वारा लिखित रूप में अनुरोध किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर इस प्रकार निर्देशित करने में उपेक्षा करता है या उससे इंकार करता है तो अन्य पक्षकार पूर्वोक्त रूप में नियुक्त किए गए एकमात्र मध्यस्थ के

विनिश्चय के लिए उक्त मामले को स्वयं निर्देशित कर सकेगा और वह मध्यस्थ उस मामले पर कार्यवाही इस रूप में करेगा मानों मामला दोनों पक्षकारों द्वारा निर्देशित किया गया है और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम और दोनों पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि जब तक संदर्भ से भिन्न अर्थ प्रकट न हो :—

(क) इस विलेख में प्रयुक्त "विक्रेता" शब्द के अन्तर्गत हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार और इस विलेख में अन्तर्विष्ट या इससे उत्पन्न किसी विषय या बात के संबंध में, ऐसे विषय या बात की बाबत भारत सरकार की ओर से कार्य करने या उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति ;

(ख) इस विलेख में प्रयुक्त "क्रेता" शब्द के अन्तर्गत उक्त————के अतिरिक्त उसके विधिपूर्ण वारिस, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, समनुदेशिती, अंतरिती, पट्टेदार और उक्त सम्पत्ति का अधिभोग रखने वाला या वाले व्यक्ति भी हैं ।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने ऊपर सर्वप्रथम लिखित तारीख को इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है

उस स्थल पर, जो तारीख———के पट्टा विलेख द्वारा पट्टे पर धारित है, स्थित ———मंजिल की ईंटों से बनी दुकान/फ्लैट जिसमें———में———है तथा जिसके साथ फिक्सचर और फिटिंग भी हैं और जिसका विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है तथा उक्त दुकान/फ्लैट के और उसके साथ प्रायः धारित या उपभोग किए जाने वाले सभी भवन, विशेषाधिकार, सुखाचार और अनुलग्नक अथवा उक्त दुकान/फ्लैट, चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो या वर्णित किया या पहचाना जाए ।

अंतरित परिसर की संरचना का वर्णन :—

(1) तल मंजिल पर ईंटों से बनी दुकान सं० ————————————
(पहली मंजिल/दूसरी मंजिल/रहायशी/वाणिज्यिक फ्लैट) ।

(2) सीढ़ियों में ————————हिस्सा और आम रास्ते में————————
हिस्सा और शौचालय ब्लाक में————————हिस्सा ।

भूखण्ड के उत्तर में ————————————है
भूखण्ड के दक्षिण में ————————————है
भूखण्ड के पूर्व में ————————————है
भूखण्ड के पश्चिम में————————————है

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ————————————ने

हस्ताक्षर ————————————
उपजीविका ————————————
पता————————————

हस्ताक्षर ————————————
उपजीविका ————————————
पता————————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

उक्त——————————ने ———————————— में

हस्ताक्षर ————————————————————————

उपजीविका ——————————————————————

पता ——————————————————————————

हस्ताक्षर ————————————————————————

उपजीविका ——————————————————————

पता ——————————————————————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

पट्टा विलेख—भारत सरकार द्वारा प्राइवेट परिसर का अपने उपयोग के लिए पट्टे पर लिया जाना

यह करार एक पक्षकार के रूप में——————————(जिसे इसमें आगे "भूस्वामी" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके तथा उनमें से प्रत्येक के वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति, जिनका इस करार में कार्य या प्रतिनिधित्व——————————कर रहा है (जिसे इसमें आगे भारत सरकार कहा गया है), के बीच आज तारीख ——————19————को किया गया।

इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि—

1. इसमें आगे आरक्षित किराए और इसमें अन्तर्विष्ट अन्य शर्तों के प्रतिफलस्वरूप भूस्वामी ——————————नामक परिसर, उस पर बने और विद्यमान सभी भवनों, परिनिर्माणों, फिक्सचरों और फिटिंगों सहित (जिसे इसमें आगे "उक्त परिसर" कहा गया है), भारत सरकार को पट्टे पर देने के लिए और भारत सरकार उसे मासिक अभिधृति पर लेने के लिए करार करती है। उक्त परिसर का विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची "क" में किया गया है।

2. यह अभिधृति दो वर्ष की अवधि के लिए होगी और तारीख——19——को आरम्भ होगी तथा तारीख ————————19———को समाप्त होगी, परन्तु भारत सरकार को यह विकल्प होगा कि वह इस अवधि के समाप्त होने के पूर्व भूस्वामी को 30 दिन की लिखित सूचना देकर, पट्टे को उन्हीं शर्तों और उसी किराए पर दो वर्ष की और अवधि के लिए नवीकृत करा ले।

3. भारत सरकार, इसके निबंधनों के अधीन रहते हुए, उक्त परिसर के लिए ————— रु० प्रति मास किराए का संदाय करेगी। यदि इसके द्वारा सृजित अवधि इस विलेख के उपबंध के अनुसार समाप्त कर दी जाती है तो भारत सरकार इस प्रकार समाप्त किए जाने की तारीख तक चालू मास के भाग के लिए किराए के केवल आनुपातिक भाग का ही भुगतान करेगी।

4. उक्त परिसर के अन्तर्गत उसमें विद्यमान फिक्सचर और फिटिंग जो इसमें आगे अनुसूची "ख" में बताई गई है, भी है, और भारत सरकार इसके खण्ड 2 के अधीन अभिधृति के अभ्यर्पण पर उक्त परिसर, फिक्सचरों और फिटिंगों सहित वैसी ही अच्छी दशा में, सौंपेगा जिसमें उसने उसे प्राप्त किया था किन्तु इसमें उचित टूट-फूट तथा अग्नि, दैवकृत, बलवों या अन्य सिविल उपद्रव, शत्रु कार्य और/या अन्य ऐसे कारणों से हुई क्षति को छोड़ दिया जाएगा जो भारत सरकार के नियंत्रण से परे हो; परन्तु भारत सरकार किसी ऐसी संरचनात्मक क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी जो परिसर को अभिधृति की अवधि के दौरान हो।

5. भारत सरकार उक्त परिसर का उपयोग डिस्पैंसरी, नैदानिक प्रयोगशाला के लिए तथा सभी आनुषंगिक और संबंधित प्रयोजनों के लिए करेगी।

6. भारत सरकार को उक्त पूरा परिसर या उसका कोई भाग भारत सरकार के किसी अन्य विभाग को या किसी ऐसे निकाय या समुत्थान को जिसमें भारत सरकार हितबद्ध है, उपपट्टे पर देने का अधिकार होगा, किन्तु किराए का संदाय करने के लिए वह जिम्मेदार होगी।

7. भूस्वामी, उक्त परिसर की बाबत सभी वर्तमान और भावी रेट, कर और अन्य सभी प्रकार की देनदारियों का, चाहे वे कुछ भी हों, सम्यक् रूप से संदाय करेगा।

8. भारत सरकार इस विलेख के बने रहने के दौरान उक्त परिसर में प्रयुक्त विद्युत शक्ति, प्रकाश और पानी की बाबत सभी प्रभारों का संदाय करेगी।

9. भूस्वामी ऐसी आवश्यक मरम्मत कराएगा जैसी उस परिक्षेत्र के परिसरों में प्रायः की जाती है और जैसी भारत सरकार द्वारा लिखित सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। भूस्वामी यह मरम्मत ऐसी अवधि के भीतर कराएगा जो उक्त सूचना में उल्लिखित हो। यदि भूस्वामी सूचना का अनुसरण करते हुए मरम्मत कराने में असफल रहता है तो भारत सरकार ऐसी मरम्मत भूस्वामी के खर्च पर करा सकेगी जो सूचना में उल्लिखित है और उसका खर्च मासिक किराए में से वसूल किया जा सकेगा किन्तु इससे वसूली के अन्य तरीकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

10. यदि उक्त परिसर या उसका कोई भाग अग्नि, दैवकृत, बलवों या अन्य सिविल उपद्रव, शत्रु कार्य या ऐसे अन्य कारणों से, जो भारत सरकार के नियंत्रण से परे हों, रहने योग्य नहीं रह जाता है तो इसके द्वारा आरक्षित मासिक किराया तब तक संदेय नहीं होगा जब तक कि उक्त परिसर को उसकी मूल स्थिति में नहीं लाया जाता है और वह पूर्ण और उचित रूप से रहने के योग्य नहीं बन जाता है। यदि भवन का कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया है और वह रहने योग्य नहीं रह गया है किन्तु भारत सरकार उस भाग पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है जो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है तो उस दशा में मासिक किराया उस भाग के अनुपात में जो कब्जे में है, तदनुसार प्रभाजित कर दिया जाएगा।

11. भारत सरकार उक्त परिसर के अपने अधिभोग से होने वाली लाभ की हानि या गुडविल की हानि या उक्त परिसर के बारे में, पूर्वोक्त रूप में संदेय किराए के अतिरिक्त, प्रतिकर की किसी रकम के लिए दायी नहीं होगी और भूस्वामी उनके बारे में कोई दावा नहीं करेगा।

12. भूस्वामी भारत सरकार के साथ करार करता है कि यदि भारत सरकार इसके द्वारा आरक्षित मासिक किराए का संदाय करती है और इसमें अन्तर्विष्ट उन शर्तों और अनुबंधों का पालन और अनुपालन करती है, जिनका पालन और अनुपालन भारत सरकार को करना है, तो भारत सरकार अभिधृति की अवधि के दौरान उक्त परिसर को भूस्वामी द्वारा या उसकी ओर से या उससे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी विघ्न या बाधा के बिना शान्तिपूर्वक धारण करेगी और उसका उपभोग करेगी।

13. भारत सरकार को हक होगा कि वह अभिधृति को समाप्त करने के अपने आशय की एक मास की लिखित पूर्व सूचना भूस्वामी को देकर, अभिधृति को किसी भी समय समाप्त कर दे।

14. यदि भूस्वामी ने इस विलेख के अधीन या उक्त परिसर की बाबत, भारत सरकार को दी जाने वाली कोई सूचना भारत सरकार की ओर से सम्पदा अधिकारी, भारत सरकार, नई दिल्ली, के पते पर रजिस्ट्रीपत्र द्वारा डाक से भेज दी है तो वह सम्यक् रूप से दे दी गई समझी जाएगी और यदि भारत सरकार ने भूस्वामी को दी जाने वाली कोई सूचना भूस्वामी को उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर रजिस्ट्रीपत्र द्वारा डाक से भेज दी है तो वह सम्यक् रूप से दे दी गई समझी जाएगी।

15. यदि इस विलेख अथवा इस विलेख के अर्थान्वयन या प्रभाव से या किसी भी रूप से उसके संबंध में कोई विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है (जिसके निपटारे के लिए इसमें इसके पूर्व कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है) तो वह ऐसे व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् के लिए निर्देशित किया जाएगा जिसकी नियुक्ति ——————————————— द्वारा की जाएगी।

को यह हक नहीं होगा कि वह ऐसी नियुक्ति पर इस आधार पर आपत्ति करे कि एकमात्र मध्यस्थ सरकारी सेवक है या यह कि वह उन विषयों पर कार्यवाही कर चुका है जिनका इस विलेख से संबंध है या ऐसे सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के क्रम में उसने विवाद या मतभेद के सभी विषयों पर या उनमें से किसी पर अपने विचार व्यक्त किए थे। यदि ऐसे मध्यस्थ का स्थानान्तरण हो जाता है, या वह पद छोड़ देता है या किसी भी कारण से कार्य करने से इंकार कर देता है या कार्य करने में अक्षम हो जाता है तो———उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा। इस प्रकार नियुक्त किए गए मध्यस्थ को यह हक होगा कि वह निर्देश के संबंध में उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही करे जिस प्रक्रम पर वह लम्बित है। मध्यस्थ अधिनिर्णय देने का समय इस विलेख के दोनों पक्षकारों की सहमति से समय-समय पर बढ़ा सकेगा। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अन्तिम और इस विलेख के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। जैसा ऊपर कहा गया है उसके अधीन रहते हुए, माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 और उसके अधीन बनाए गए नियम इस खंड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाहियों को लागू होंगे।

16. भारत के राष्ट्रपति ने यह स्वीकार कर लिया है कि इस विलेख पर जो भी स्टाम्प शुल्क देना होगा वह राष्ट्रपति देंगे।

इसके साक्ष्यस्वरूप इस विलेख का ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को निष्पादन भूस्वामी ने और राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से ——————————ने किया है।

अनुसूची "क"

उक्त——————————ने
(भूस्वामी)

1. ——————————

2. ——————————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से——————————ने

(उप महानिदेशक के०स०स्वा०यो०
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय०)

1. ——————————

2. ——————————

की उपस्थिति में कल्याण किए।

भूमि के पट्टान्तरण के लिए पट्टा विलेख

यह पट्टा एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "पट्टाकर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी है, जब तक कि संदर्भ से अन्य और भिन्न अर्थ अपेक्षित नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में———— जो————का पुत्र और ————का निवासी है (जिसे इसमें आगे "पट्टेदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उक्त———— उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि संदर्भ से अन्य और भिन्न अर्थ अपेक्षित नहीं है।) के बीच आज तारीख———— को किया गया।

पट्टाकर्ता इसमें आगे लिखी अनुसूची में वर्णित भूमि का पट्टेदार को, इसमें आगे बताए गए और अन्तर्विष्ट निबन्धनों और शर्तों पर पट्टान्तरण करने को सहमत हो गया है।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि इस विलेख के निष्पादन से पूर्व दिए गए ————रु० के प्रीमियम के, जिसकी प्राप्ति पट्टाकर्ता इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है, और इसमें आगे आरक्षित किराए के तथा इसमें आगे दी हुई पट्टेदार की ओर से की गई प्रसंविदाओं के प्रतिफलस्वरूप पट्टाकर्ता, पट्टेदार को वह सम्पूर्ण भूमि पट्टान्तरित करता है जिसका क्षेत्रफल————या उस के लगभग है और जो———— में भूखण्ड सं० ————में स्थित है। इस भूखण्ड का विस्तृत वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है। अधिक स्पष्टता के लिए उसकी सीमाएं इस विलेख से संलग्न नक्शे में लाल रंग से बनाई गई हैं और उसमें लाल रंग भरा गया है। पट्टाकर्ता उक्त भूमि में, उसके नीचे या उसके भीतर सभी खानों और खनिज उत्पादों, भूगत खजाने, कोयले, पेट्रोलियम, तेल और खदानों के सिवाय, उसके सभी अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों का पट्टान्तरण करता है, जिसके साथ यह बात जुड़ी हुई है कि पट्टाकर्ता और उसके पट्टेदार, अनुज्ञप्तिधारी, अभिकर्ताओं और कर्मकारों और उसकी ओर से कार्य करने वाले सभी ऐसे अन्य व्यक्तियों, को उनके खनन, उनकी तलाश करने, उनको प्राप्त करने और उन्हें ले जाने की स्वतंत्रता, पट्टेदार को किसी ऐसे विघ्न या ऐसी क्षति के मद्धे युक्तियुक्त प्रतिकर का संदाय करने पर होगी, जो उससे उक्त भूमि की सतह को या उस पर खड़े किसी भवन को हो, और विवाद की दशा में ऐसे प्रतिकर का अवधारण पट्टाकर्ता द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी द्वारा, यथाशक्य, तत्समय प्रवृत्त भूमि अर्जन अधिनियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और उस संबंध में उसका विनिश्चय अंतिम होगा। पट्टेदार उक्त भूमि को 99 (निन्यानवे) वर्ष की अवधि के लिए जो———— से प्रारंभ होती है, धारण करेगा। यह पट्टान्तरण इस शर्त पर किया गया है कि पट्टेदार उक्त भूमि के लिए ————रु० के वार्षिक भूमि किराए का संदाय भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर करेगा जो पट्टाकर्ता इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर अधिसूचित करे।

(क) पट्टेदार को पट्टान्तरित परिसर का उपविभाजन करने या विक्रय, बन्धक, दान द्वारा या अन्यथा उक्त परिसर, या उस पर निर्मित किसी भवन या उसके किसी भाग का अन्तरण, पट्टाकर्ता या ऐसे अधिकारी या निकाय की, जिसे पट्टाकर्ता इस निमित्त प्राधिकृत करे, लिखित पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना, करने का हक नहीं होगा, और सभी अन्तरिती इसमें अन्तर्विष्ट प्रसंविदाओं और शर्तों द्वारा आबद्ध होंगे और सभी प्रकार से उसके किराए के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) पट्टाकर्ता को अर्जित वृद्धि अर्थात् पट्टान्तरित परिसर के, पट्टे के अनुदान के पश्चात् प्रथम बार किए गए समनुदेशन या अन्तरण के समय बाजार मूल्य और उस प्रीमियम के, जिसका संदाय किया जा चुका है, बीच के अन्तर के अथवा उक्त परिसर के प्रत्येक पश्चात्वर्ती समनुदेशन या अन्तरण के समय उक्त परिसर के बाजार मूल्य और उक्त परिसर के समनुदेशन या अन्तरण के ठीक पहले प्रचलित बाजार मूल्य के बीच के अन्तर के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) का दावा करने और उसे वसूल करने का हक होगा। पट्टाकर्ता को संदेय रकम के बारे में पट्टाकर्ता का विनिश्चय अन्तिम और पट्टेदार और उसके अन्तरितियों या समनुदेशितियों पर आबद्धकर होगा।

पट्टाकर्ता को उस समय जब वह पट्टेदार के विक्रय-अनुमति के आवेदन पर विचार करे, पूर्वोक्त रूप में उसको (पट्टाकर्ता को) संदेय अर्जित वृद्धि की 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) रकम की कटौती करने के पश्चात् उक्त परिसर का क्रय करने का अग्रक्रयाधिकार होगा।

(ग) पट्टाकर्ता को इसमें आरक्षित भूमि किराए का पुनरीक्षण वर्ष———— की जनवरी मास के प्रथम दिन और उसके बाद 30 वर्ष से अन्यून की प्रत्येक अवधि के अंत में करने का हक होगा। परन्तु प्रत्येक ऐसे समय जब किराए में वृद्धि की जाए, किराए में नियत वृद्धि, ऐसे प्रत्येक समय में किराया-मूल्य में वृद्धि के आधे से अधिक नहीं होगी और ऐसा किराया-मूल्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

यह भी उपबंध है कि पट्टेदार को उक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए किराया मूल्य निर्धारण आदेश के विरुद्ध उस आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर उसके नियंत्रक प्राधिकारी को अपील करने का हक होगा।

(घ) भूमि किराया प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी और 15 जुलाई को अर्धवार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप में संदेय होगा। भूमि किराया स्थल के पट्टानुदान के क्रय की तारीख से, यथास्थिति, ठीक आगामी 15 जनवरी या 15 जुलाई तक की अवधि के संबंध में सम्पूर्ण आध वर्ष के लिए संदेय होगा और केता इसका संदाय ऐसे क्रय के समय तुरन्त करेगा।

I. पट्टेदार स्वयं को इस बात से आबद्ध करता है कि प्रसंविदाएं उक्त भूमि के साथ चलेंगी और उसके सभी अनुज्ञात समनुदेशितियों पर आबद्धकर होंगी तथा वह (पट्टेदार) पट्टाकर्ता के साथ यह प्रसंविदा करता है कि:—

(i) वह उन तारीखों को और उस रीति में किराए का संदाय करेगा जो उसके संदाय के लिए इसमें इसके पूर्व नियत की गई हैं और वह ऐसे सभी करों, रेटों, और निर्धारणों का भी संदाय करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित भवनों पर या पट्टाकर्ता या पट्टेदार पर उसके अनुज्ञात उप पट्टेदार पर या समनुदेशिती पर उसके संबंध में, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन इस समय अधिरोपित है या जो इसके बाद उक्त अवधि के दौरान अधिरोपित किए जाएं।

(ii) वह परिसर और उस पर के सभी भवनों को पट्टाकर्ता द्वारा नियुक्त अधिकारी के निदेशों के अनुसार स्वच्छ हालत में रखेगा;

(iii) वह विद्यमान संरचना पर कोई अन्य संरचना निर्मित नहीं करेगा।

(iv) उक्त पट्टेदार, पट्टाकर्ता की लिखित अनुमति प्राप्त किए बिना, उक्त अन्तरित परिसर में बाहर से/या अन्दर से कोई परिवर्तन और/या परिवर्धन नहीं करेगा।

(v) पट्टेदार न तो सामान्य बरामदे को घेरेगा, न कोई ऐसा निर्माण खड़ा करेगा और उसमें कोई माल रखेगा जिससे कि उसके सामान्य उपयोग में बाधा पड़े।

(vi) वह पट्टाकर्ता की लिखित सहमति के बिना रहायश/दुकान के प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए न तो उसका प्रयोग करेगा और न प्रयोग करने की अनुमति देगा।

(vii) वह उक्त भूमि का या उस पर निर्मित भवन का या उसके किसी भाग का ऐसे उपविभाजन नहीं करेगा जिसके कारण न्यूसेन्स या क्षोभ हो या हो जाए, या पड़ोस में दूसरी संपत्ति के अधिभोगियों को क्षति पहुंचे।

(viii) वह उक्त सम्पूर्ण भूमि के या उस पर निर्मित भवन के कब्जे में सभी परिवर्तन चाहे वे अन्तरण द्वारा, उत्तराधिकार द्वारा या अन्यथा हों, ऐसे प्राधिकारी के कार्यालय में, जो उस क्षेत्र की, जिसमें उक्त भूमि स्थित है, अधिकारिता रखता है, या भूमि और विकास कार्यालय में इस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में, ऐसे परिवर्तनों की तारीखों से एक मास के भीतर (और यदि ऐसे परिवर्तन भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन स्थानीय सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज किए जाते हैं तो ऐसे सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक कलैण्डर मास के भीतर) रजिस्ट्रीकृत कराएगा और यदि पट्टेदार पर्याप्त कारणों के बिना, ऐसे परिवर्तनों का रजिस्ट्रीकरण भूमि और विकास अधिकारी और इस प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के कार्यालय में कराने में उपेक्षा करता है तो पट्टाकर्ता उपेक्षा के प्रत्येक ऐसे मामले के लिए उस पर 100 रु० से अनधिक की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और पट्टाकर्ता इस विलेख के अधीन उसको उपलभ्य अन्य उपचारों के अतिरिक्त ऐसी शास्तियों का संदाय उसी रीति में करा सकेगा जो भू-राजस्व की बकाया के मामले में होती है।

(ix) पट्टाकर्ता के आदेशों के अधीन कार्य करने वाले सभी व्यक्ति उक्त अवधि के दौरान दिन में सभी युक्तियुक्त समयों पर उक्त भूमि पर या किसी ऐसे भवन में जो उस भूमि पर पट्टे से संबंधित किसी प्रयोजन के लिए निर्मित किया जाए प्रवेश कर सकेंगे।

(x) पट्टेदार या उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती 99 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पट्टे के पर्यवसान पर परिसर का कब्जा उस पर निर्मित भवनों और उसमें भू-स्वामी के फिक्सचरों सहित छोड़ देंगे, परन्तु पट्टाकर्ता, पट्टेदार को अभिधृति की समाप्ति की तारीख को उक्त भवनों और फिक्सचरों के मूल्य का संदाय करेगा और ऐसे मूल्य का अवधारण, इस बारे में कोई करार न होने की दशा में ऐसे एकमात्र मध्यस्थ द्वारा, जिसके लिए दोनों पक्षकार सहमत हों, किया जाएगा अथवा ऐसी सहमति न होने की दशा में, दो मध्यस्थों द्वारा किया जाएगा जिनमें से एक-एक मध्यस्थ प्रत्येक पक्षकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ऐसे किसी भी माध्यस्थम् को माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के उपबंध और उसके कानूनी उपान्तरण लागू होंगे। किन्तु पट्टाकर्ता 99 वर्ष समाप्त होने पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो पट्टाकर्ता आवश्यक समझे, पट्टे को नवीकृत कर सकेगा।

(xi) यदि पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाकर्ता को किसी लोक प्रयोजन के लिए या किसी प्रशासनिक प्रयोजन के लिए परिसर की आवश्यकता होती है तो पट्टाकर्ता इस आशय की कि उक्त परिसर की ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, 60 दिन की सूचना की, जिसकी तामील पट्टाकर्ता इस निमित्त नियुक्त अधिकारी द्वारा पट्टेदार पर करेगा, समाप्ति पर भवनों, सन्निर्माणों और अनुलग्नकों सहित भूमि का कब्जा ले सकेगा। पट्टेदार भूमि, भवनों और सन्निर्माणों की बाबत प्रतिकर पाने का हकदार होगा। यदि इस खण्ड के अधीन संदेय प्रतिकर की बाबत कोई विवाद होता है तो उस प्रतिकर का अवधारण, यथास्थिति, पट्टाकर्ता द्वारा या ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे वह इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, भूमि अर्जन अधिनियम या उससे संबंधित तत्समय प्रवृत्त विनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा और पट्टाकर्ता या ऐसे अधिकारी का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा।

(ii) शौचालय ब्लाक की अधिसंरचना के नीचे की भूमि का क्षेत्रफल———— प्रभारित————

(iii) सामान्य मार्ग के नीचे की भूमि का क्षेत्रफल———— प्रभारित ————

भूमि के उत्तर में————है

भूमि के दक्षिण में ————है

भूमि के पूर्व में ————है

भूमि के पश्चिम में ————है

भारत के राष्ट्रपति के लिए
और उनकी ओर से ————

————ने

1.————

2.————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

पट्टेदार ————ने हस्ताक्षर

1.————

2.————

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

हस्ताक्षर

सरकारी भूमि की बाबत अनुज्ञप्ति

यह अनुज्ञप्ति एक पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) और—

*(क) दूसरे पक्षकार के रूप में श्री————————— जो श्री——
——————का पुत्र और ——————————————
का निवासी है (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है)।

**(ख) दूसरे पक्षकार के रूप में (i) श्री————————————
जो श्री ————————————का पुत्र और ——————————
का निवासी है (ii) श्री ——————————————————जो
श्री—————————— ————————का पुत्र और ——————
——————————का निवासी है (iii) श्री ———————————
जो श्री ————————————————————————का पुत्र
और ——————————————————का निवासी है, आदि जो मैसर्स
——————————————————————के फर्म नाम और अभिनाम
से सं० ——————————————में भागीदारी में कारबार कर रहे हैं
(जिन्हें इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है)।

***(ग) दूसरे पक्षकार के रूप में ——————————————
लिमिटेड, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, ——————————के अधीन
निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ————————————
में है (जिसे इसमें आगे "अनुज्ञप्तिधारी" कहा गया है) के बीच आज तारीख————
को की गई।

अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) ने सरकार से अनुरोध किया है कि उसे/उन्हें सरकार की उस भूमि और परिसर की बाबत, जिसका विशिष्ट वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है (जिसे इसमें आगे उक्त "परिसर" कहा गया है) इजाजत और अनुज्ञप्ति दी जाए और सरकार इसमें आगे अन्तर्विष्ट निबन्धनों और शर्तों पर ऐसा करने के लिए सहमत हो गई है:—

इस के द्वारा निम्नलिखित रूप में परस्पर करार किया जाता है:—

1. अनुज्ञप्तिधारी को मात्र अनुज्ञप्तिधारी समझा जाएगा, जिसका उक्त परिसर में केवल वैयक्तिक अधिकार होगा और इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह उक्त परिसर या उसके किसी भाग का विधि की दृष्टि से पट्टान्तरण है जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) को उस पर कोई अधिकार या हक प्राप्त होता है।

2. यह अनुज्ञप्ति बिल्कुल अस्थायी है और सरकार इसे प्रतिसंहृत करने के अपने आशय का कोई कारण बताए बिना अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) को तीस दिन की सूचना देकर इसे किसी भी समय प्रतिसंहृत करने का अधिकार आरक्षित रखती है।

3. यदि आवंटन को अनुज्ञप्ति विलेख का निष्पादन करके और आवंटन पत्रों में वर्णित अग्रिम निक्षेपों का संदाय करके स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुज्ञप्ति फीस

---

*जब अनुज्ञप्तिधारी व्यष्टि हो तब इसका उपयोग किया जाए।

**जब अनुज्ञप्तिधारी भागीदारी फर्म हो तब इसका उपयोग किया जाए।

***जब अनुज्ञप्तिधारी लिमिटेड कम्पनी हो तब इसका उपयोग किया जाए।

के संदाय के लिए अनुज्ञप्तिधारी का दायित्व परिसर के आवंटन की प्रस्थापना करने वाले पत्र के जारी किए जाने की तारीख से आठवें दिन से या परिसर के अधिभोग की तारीख से, जो भी पूर्वतर हो, आरम्भ होगा।

4. (i) अनुज्ञप्तिधारी, सम्पदा निदेशालय के पास छह मास की अनुज्ञप्ति फीस के बराबर राशि प्रतिभूति रकम के रूप में निक्षिप्त करेगा तथा निक्षिप्त रखेगा। यदि इसके निबन्धनों और शर्तों में से किसी का उल्लंघन या व्यतिक्रम किया जाता है तो यह रकम समपहृत की जा सकेगी।

(ii) अनुज्ञप्तिधारी छह मास की अनुज्ञप्ति फीस का प्रतिभूति निक्षेप के रूप में अग्रिम संदाय तुरन्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर के उपयोग और अधिभोग के लिए ——————रु० की या ऐसी अन्य दर से जो सरकार समय-समय पर नियत करें और जिसका, यदि विनिर्दिष्ट किया जाए तो भूतलक्षी प्रभाव भी होगा, अनुज्ञप्ति फीस का अग्रिम संदाय सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली के कार्यालय में प्रत्येक मास, उस मास के दसवें दिन के पूर्व करेगा। यदि अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत या समाप्त कर दी जाती है तो अनुज्ञप्तिधारी प्रवृत्त दर से अनुज्ञप्ति फीस के आनुपातिक भाग का संदाय करेगा, जिसमें ऐसे प्रतिसंहरण या समाप्ति की तारीख तक चालू मास के भाग के लिए विद्युत और जल की खपत के आनुपातिक प्रभार भी सम्मिलित होंगे।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति फीस के संदाय में व्यतिक्रम या इसमें इसके पूर्व उपबंधित किसी निबंधन को भंग करने के कारण उक्त भूमि, स्थावर सम्पत्ति और परिसर से तुरन्त बेदखल किया जा सकेगा।

4क. यदि अनुज्ञप्तिधारी संबंधित मास की दसवीं तारीख से पूर्व अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करने में व्यतिक्रम करता है (करते हैं) तो अनुज्ञप्तिधारी बकाया अनुज्ञप्ति फीस पर उस मास की अर्थात् जिस मास की बाबत संदाय में व्यतिक्रम होता है पहली तारीख से अनुज्ञप्ति के पर्यवसान की प्रभावी तारीख के पूर्व की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से या सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से ब्याज का संदाय करेगा (करेंगे) जो अनुज्ञप्ति फीस/किराए का भाग रूप होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति के पर्यवसान की प्रभावी तारीख के पूर्व ब्याज सहित बकाया रकम का, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, भुगतान करने में असफल रहता है (रहते हैं) तो वह/वे अनुज्ञप्ति के पर्यवसान की प्रभावी तारीख से लेकर परिसर की बाबत सभी शोध्य रकमों के भुगतान किए जाने तक या उस समय तक जब अनुज्ञप्तिधारी उस परिसर को खाली करता है (करते हैं), इनमें से जो भी पूर्वतर हो, नुकसानी पर (जो वर्तमान अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त 50 प्रतिशत प्रतिमास की दर से वसूलनीय है) उक्त दर से ब्याज का भी संदाय करेगा/करेंगे।

5. अनुज्ञप्तिधारी अपने अधिभोगाधीन उक्त परिसर के संदर्भ में उस विद्युत और जल के लिए जिसकी उसने खपत की है, सब प्रभार देगा/देंगे।

6. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर या भवन में कोई परिवर्धन या परिवर्तन और/या भूमि/पिछले प्रांगण पर उपर्युक्त रूप से अनुज्ञात अतिरिक्त निर्माण से भिन्न कोई अतिरिक्त निर्माण अथवा उक्त परिसर के विद्युत या स्वच्छता संबंधी संस्थापनों में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं करेगा। यदि कोई परिवर्धन या परिवर्तन या निर्माण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपेक्षित है तो उस आशय का अनुरोध लिखित रूप में सम्पदा निदेशालय से किया जाए जो उस पर ऐसे निबंधनों और शर्तों पर विचार कर सकेगा जो उचित समझी जाएं। जहां अंततोगत्वा ऐसा कोई परिवर्धन या परिवर्तन या निर्माण आदि अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करके कर लिया जाता है वहां उक्त परिसर को खाली करते समय अनुज्ञप्तिधारी उसको हटाने का या उसकी बाबत किसी भी प्रकार के प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा/होंगे।

7. अनुज्ञप्तिधारी, सामान्य टूट-फूट को छोड़कर परिसर को हुए किसी नुकसान की प्रतिपूर्ति करेगा। इस प्रश्न के संबंध में कि क्या परिसर को कोई नुकसान हुआ है और प्रतिकर की कितनी रकम उस नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए पर्याप्त होगी, सम्पदा निदेशालय का विनिश्चय अन्तिम और अनुज्ञप्तिधारी पर आबद्धकर होगा।

8. अनुज्ञप्तिधारी सरकार की लिखित पूर्व सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को उक्त परिसर या उसके किसी भाग का किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करने की अनुज्ञा नहीं देगा/देंगे और यदि वह इसमें व्यतिक्रम करेगा तो वह बेदखल किया जा सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी न तो किसी को भागीदार के रूप में सम्मिलित करेगा/करेंगे, न वह/वे परिसर या उसके भाग का अंतरण करेगा/करेंगे, न किसी अन्य व्यक्ति के साथ इस परिसर में अन्यथा कारबार करेगा/करेंगे और न परिसर में अपने हित का समनुदेशन, अंतरण, परिवर्तन या अन्य रूप में अन्यसंक्रामण करेगा/करेंगे।

9. उक्त परिसर का अनुरक्षण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग के प्रसामान्य मानकों के अनुसार करेगा।

10. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर को खाली करने की कम से कम तीस दिन की लिखित सूचना देगा/देंगे और यदि अनुज्ञप्ति फीस की कोई रकम बकाया है तो वह रकम तथा सूचना की अवधि के लिए या उतनी अवधि के लिए जितनी से अपेक्षित 30 दिन की सूचना कम है, अनुज्ञप्ति फीस का संदाय उक्त परिसर को खाली करने से पूर्व करेगा तथा यदि वह इसमें व्यतिक्रम करेगा तो बकाया रकम और आवश्यक विधिक खर्चों की वसूली के लिए उस/उन पर वाद चलाया जा सकेगा। इसी प्रकार, सरकार को यह हक होगा कि वह उसे/उन्हें उक्त परिसर खाली करने के लिए तीस दिन की सूचना दे।

11. अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहृत कर दिए जाने या इसकी समाप्ति पर सरकार को उक्त परिसर का कब्जा, प्रसामान्य टूट-फूट को छोड़कर वैसी ही अच्छी अवस्था में देगा जिस अवस्था में वह अनुज्ञप्ति की तारीख को था।

12. यदि अनुज्ञप्तिधारी या उसके/उनके कुटुम्ब का कोई ऐसा सदस्य जो उस/उन पर आश्रित है, किसी भी स्रोत से अपनी स्वयं की दुकान/फ्लैट का निर्माण/क्रय कर लेता है या भाटक (किराए) पर किसी अन्य दुकान/फ्लैट का इन्तजाम कर लेता है तो अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर को खाली कर देगा/देंगे।

13. यदि इसके द्वारा आरक्षित अनुज्ञप्ति फीस या इसका कोई भाग किसी भी समय बकाया रहेगा या नियत तारीख के पश्चात् असंदत्त रहेगा या यदि अनुज्ञप्तिधारी उन निबन्धनों और शर्तों और प्रसंविदाओं में से, जो इसमें अन्तर्विष्ट है और जिनका उसे पालन करना है, किसी का पालन करने में किसी भी समय असफल रहेगा या उपेक्षा करेगा तो ऐसे मामले में, सरकार, अपने अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्ति धारियों) को तीस दिन की लिखित सूचना देकर अनुज्ञप्ति समाप्त कर सकेगी और उक्त परिसर या पूरे परिसर के नाम पर उसके किसी भाग में प्रवेश कर सकेगी और अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी समाप्ति पर, उक्त परिसर का कब्जा शान्तिपूर्वक छोड़ देगा/देंगे और उसे/उन्हें किसी प्रकार के प्रतिकर का कोई अधिकार नहीं होगा और तब यह अनुज्ञप्ति पूर्णतः समाप्त हो जाएगी किन्तु इसके निबंधनों और शर्तों तथा प्रसंविदाओं के, अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) की ओर से पहले किए गए किसी भंग की बाबत सरकार के वाद चलाने या उपचार के किसी अधिकार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

14. यह अनुज्ञप्ति निम्नलिखित घटनाओं में से किसी के होने पर, उसी तथ्य के कारण समाप्त हो जाएगी, और अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) को किसी भी प्रतिकर का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, अर्थात्:—

(i) यदि अनुज्ञप्तिधारी व्यष्टि या फर्म है और उस व्यष्टि की या अनुज्ञप्तिधारी फर्म के किसी भागीदार की मृत्यु हो जाती है, या वह किसी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया जाता है या उसके विरुद्ध रिसीवर की नियुक्ति का या उसकी सम्पदा के प्रशासन का आदेश दिया जाता है या वह तत्समय प्रवृत्त किसी दिवाला अधिनियम के अधीन समापन या समझौते के लिए कोई कार्यवाही करता है या अपनी चीजवस्त का कोई हस्तांतरण या समनुदेशन करता है या अपने लेनदारों के साथ समझौते के लिए कोई ठहराव करता है या संदाय निलम्बित कर देता है या कोई नया भागीदार सम्मिलित करता है या भागीदारी फर्म की संरचना में कोई परिवर्तन करता है या यदि फर्म भागीदारी अधिनियम के अधीन विघटित कर दी जाती है, अथवा

(ii) यदि अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी है और वह कम्पनी के स्वेच्छया परिसमापन के लिए संकल्प पारित करती है या न्यायालय उस कम्पनी के परिसमापन या उसके कामकाज के लिए अनन्तिम समापक की नियुक्ति का आदेश करता है या डिबेंचर धारकों की ओर से रिसीवर या प्रबन्धक की नियुक्ति की जाती है या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि न्यायालय या डिबेंचर धारक रिसीवर या प्रबन्धक की नियुक्ति करने के लिए हकदार हो जाते हैं:

परन्तु ऐसी समाप्ति का वाद चलाने या उपचार के किसी ऐसे अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो सरकार को प्रोद्भूत हो चुका हो या तत्पश्चात् प्रोद्भूत होगा।

15. अनुज्ञप्तिधारी उक्त परिसर का उपयोग विनिर्दिष्ट कारबार के प्रयोजन के लिए ही करेगा/करेंगे और ऐसा करने में वह/वे उक्त परिसर के सामने के बरामदे, और मार्किट के अहाते, गली या उप-गली को साफ रखेगा और वह/वे किसी भी परिस्थिति में बरामदे, मार्किट के अहाते, गली या उप-गली में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा/करेंगे और न उसका अधिक्रमण करेगा/करेंगे। यदि किसी समय सरकार की जानकारी में यह बात आती है कि अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) की मौनानुकूलता से, कोई अप्राधिकृत व्यक्ति उक्त परिसर के सामने बरामदे का या मार्किट के अहाते या गली या उप-गली का उपयोग कर रहा है या यह कि अनुज्ञप्तिधारी ने बरामदे या मार्किट के अहाते या गली या उप-गली में कोई विज्ञापन पट्ट प्रदर्शन-केस आदि रख दिए हैं या वहां पर किसी माल का ढेर लगा दिया है, अथवा वह मार्किट के बरामदे, अहाते या गली या उप-गली में कोई ऐसा क्रिया-कलाप कर रहा है जिससे ग्राहकों या अन्य अनुज्ञप्तिधारियों के सामान्य रूप से आने जाने में बाधा पड़ती है या जिससे अन्य अनुज्ञप्तिधारियों को न्यूसेन्स होता है तो सरकार कोई कारण बताए बिना और अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) पर सूचना की तामील किए बिना अनुज्ञप्ति को तुरन्त समाप्त करने की और ऐसी दरों पर, जो सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएं, नुकसानी का दावा करने की हकदार होगी।

16. यदि इस अनुज्ञप्ति के निबंधनों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) को दी जाने वाली कोई सूचना उक्त परिसर के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगा दी गई है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसकी सम्यक् रूप से तामील हो गई है।

17. इसमें इसके पूर्व अन्यथा जो उपबंध है उसके अधीन रहते हुए सरकार की ओर से दी जाने वाली सभी सूचनाएं और की जाने वाली सभी अन्य कार्रवाइयां, सरकार की ओर से सम्पदा उप-निदेशक या किसी ऐसे अधिकारी द्वारा दी जा सकेंगी या की जा सकेंगी, जिसे उक्त सम्पदा उप-निदेशक के कृत्य, कर्तव्य और शक्तियां उस समय सौंपी गई हैं।

इसके साक्ष्यस्वरूप, भारत सरकार के सम्पदा उप-निदेशक ने भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा अनुज्ञप्तिधारी..... ने इस पर अपने हस्ताक्षर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को कर दिए हैं।

अनुसूची

..... सं० ....

मार्किट, नई दिल्ली।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से सम्पदा उप-निदेशक ने

1.....

2.....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

सम्पदा उप-निदेशक,
भारत सरकार।

अनुज्ञप्तिधारी (अनुज्ञप्तिधारियों) के लिए और उनकी ओर से

(i) .....

(ii) .....

(iii) .....

(iv) ..... ने

1.....

2.....

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

अनुपूरक बन्धक विलेख

एक पक्षकार के रूप में श्री.................................जो श्री.............................का पुत्र है और इस समय.......... ....का निवासी है और.................. के कार्यालय में....................के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें आगे "बन्धककर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "बन्धकदार" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) के बीच आज तारीख......... को किया गया यह करार तारीख................को भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में श्री........................द्वारा निष्पादित बन्धक विलेख (जिसे इसमें आगे "उक्त मूल बन्धक विलेख" कहा गया है) का अनुपूरक है।

(i) बन्धककर्ता ने इस प्रयोजन के लिए कि वह मकान बना सके............ रुपए के अग्रिम के लिए बन्धकदार को आवेदन किया है। बन्धककर्ता ने यह आवेदन भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय द्वारा उनके कार्यालय ज्ञापन सं० एच-II–27(5)/54 तारीख 12-4-1956 के साथ जारी किए गए "मकानों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों को अग्रिम देने का विनियमन करने के लिए नियमों" के (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) अधीन किया है।

(ii) बन्धकदार उक्त "मूल बंधक विलेख" में दिए गए निबन्धनों और शर्तों पर बन्धककर्ता को..............रु० की उक्त राशि (जिसे इसमें आगे "मूल उधार" कहा गया है) देने के लिए सहमत हो गया है और बन्धककर्ता ने यह करार किया है कि वह बन्धकदार को मूल उधार का प्रतिसंदाय...............रु० की समान मासिक किस्तों में करेगा और यह प्रतिसंदाय...............मास से आरंभ होकर............. मास में संदेय होगा।

(iii) बन्धककर्ता ने, मूल उधार के प्रतिफलस्वरूप, उक्त मूल बन्धक विलेख की अनुसूची में और इसमें आगे लिखी अनुसूची में भी उल्लिखित सम्पत्ति भारत के राष्ट्रपति को ब्याज सहित उक्त राशि के संदाय की प्रतिभूति के रूप में, अन्तरित, समनुदेशित और हस्तांतरित कर दी है।

(iv) बन्धककर्ता मूल उधार में से क्रमशः..........................रु०, ...रु० ....रु० और....... रु० की.....................किस्तों में..............रु० का पूरा मूल उधार ले चुका है।

(v) बन्धककर्ता................रु० के मूल उधार के मद्धे......... ....रु० की..............समान मासिक किस्तों में कुल ....रु० का प्रतिसंदाय कर चुका है।

(vi) बन्धककर्ता ने भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय (भूतपूर्व निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय) (निर्माण और आवास विभाग) के तारीख 19-1-73 के कार्यालय ज्ञापन सं० 10/469-एच III जिल्द III, द्वारा यथा संशोधित तारीख 16-11-72 के समसंख्यांक कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, इस प्रयोजन के लिए कि वह इसमें आगे लिखी अनुसूची में उल्लिखित परिसर पर मकान का निर्माण पूरा कर सके, ...रु० के अतिरिक्त उधार के लिए बन्धकदार को आवेदन किया है।

(vii) बन्धकदार .....रु० की अतिरिक्त राशि, जिसे इसमें आगे 'अतिरिक्त उधार' कहा गया है, इसमें आगे दिए हुए निबन्धनों और शर्तों पर बन्धककर्ता को अग्रिम देने के लिए सहमत है।

(viii) बन्धककर्ता, भारत सरकार के भूतपूर्व निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय (निर्माण और आवास विभाग) के तारीख 4-5-1963 के कार्यालय ज्ञापन सं० 10-1/60-एच-III के अनुसरण में, मूल उधार और अतिरिक्त उधार के उस भाग का जिसका प्रतिसंदाय नहीं हुआ है, प्रतिसंदाय अधिक सुविधाजनक किस्तों में करना चाहता है।

यह करार इस बात का साक्षी है कि:—

(i) उक्त नियमों के अनुसरण में तथा पूर्व कथित बातों के और उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार बन्धककर्ता को अब मंजूर किए गए अतिरिक्त उधार के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता इसके द्वारा बन्धकदार से यह प्रसंविदा करता है कि वह (बन्धककर्ता) उक्त नियमों के सभी निबन्धनों और शर्तों का सदैव सम्यक् अनुपालन करेगा और उक्त मूल बंधक विलेख के अधीन देय.....रु० की राशि का तथा अतिरिक्त उधार की .....रु० की राशि का, जिनका योग .....रु० होता है, प्रतिसंदाय .....रु० की.....समान किस्तों में करेगा और कुल .....रु० की उक्त राशि का संदाय करने के पश्चात् वह ब्याज का भी संदाय उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट रीति से और दर से ....समान किस्तों में करेगा। उक्त .....रु० की कुल राशि की वसूली बंधककर्ता के.....19... में संदेय..... मास के वेतन में से आरम्भ की जाएगी तथा बन्धककर्ता इन किस्तों की रकम की वसूली अपने मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से कटौती करके करने के लिए बन्धकदार को प्राधिकृत करता है।

(ii) बंन्धककर्ता यह घोषणा करता है कि वह सम्पत्ति, जो उक्त मूल बन्धक विलेख में समाविष्ट है और जिसका उल्लेख इसमें आगे लिखी अनुसूची में भी है, मंजूर किए गए अतिरिक्त उधार के संदाय के लिए भी उसी प्रकार प्रतिभूति होगी और वह उस पर उसी प्रकार भार होगा मानो अतिरिक्त उधार उसी मूल राशि का ही भाग है जो उक्त मूल बन्धक विलेख द्वारा प्रतिभूत है।

(iii) यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि उक्त मूल बंधक विलेख के अधीन संदेय मूलधन और किस्तों के संबंध में उक्त मूल बंधक विलेख में दी हुई सभी प्रसंविदाएं, शक्तियां और उपबंध इस विलेख के अधीन संदेय (उक्त अतिरिक्त उधार और) किस्तों को लागू होंगे और इसके द्वारा किए गए परिवर्तनों के सिवाय उक्त मूल बन्धक विलेख के सभी निबन्धन और शर्तें पूर्णतया प्रवृत्त और प्रभावी रहेंगी।

अनुसूची जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है—

उत्तर में ..... है
दक्षिण में ..... है
पूर्व में..... है
पश्चिम में..... है

इसके साक्ष्यस्वरूप बन्धककर्ता ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से.. .....के कार्यालय के श्री ..... ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को कर दिए हैं।

उक्त बन्धककर्ता .....ने

(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

.....
(हस्ताक्षर)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से .....
के कार्यालय के श्री ..... ने

(1) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....(साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताअर किए।

.....
(हस्ताक्षर)

मकान के निर्माण आदि के लिए अग्रिम के अनुदान के लिए सरकारी सेवक द्वारा निष्पादित किया जाने वाला बंधक विलेख

[जब सम्पत्ति मुक्तधृति (फ्रीहोल्ड) है]

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री........................जो.....................का पुत्र है और जो इस समय...............में भारत सर्वेक्षण के ....कार्यालय में .... के रूप में नियोजित है (जिसे इसमें आगे "बन्धककर्ता" कहा गया है और इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं है) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे बंधकदार कहा गया है और उसके अन्तर्गत उनके पदोत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी हैं, जब तक कि ऐसा विषय या संदर्भ से अपवर्जित या उसके विरुद्ध नहीं हैं) के बीच आज तारीख ....को किया गया है।

बंधककर्ता उस भूमि और गृह सम्पत्ति और परिसर का पूर्ण और एकमात्र हिताधिकारी स्वामी है (जिसे इसमें आगे "उक्त बंधक सम्पत्ति" कहा गया है) जिनका वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में किया गया है और जो अधिक स्पष्टता के लिए, इससे संलग्न नक्शे में अंकित है जिसमें उसकी सीमाएं.................रंग से दिखाई गई हैं तथा जो इसके द्वारा हस्तांतरित और अंतरित किया जाना अभिव्यक्त है, और वह उसके कब्जे में है अथवा वह अन्य रूप में उसका विधिपूर्वक और पर्याप्त रूप से हकदार है।

बंधककर्ता ने ....रुपए के अग्रिम के लिए बंधकदार को आवेदन किया है। यह अग्रिम बंधककर्ता ने .... प्रयोजन के लिए मांगा है।

बंधकदार कुछ निबंधनों और शर्तों पर..........................रुपए (........................रुपए) की उक्त रकम बंधककर्ता को देने के लिए तैयार हो गया है।

उक्त अग्रिम की एक शर्त यह है कि बंधककर्ता को चाहिए कि वह इसमें आगे अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति का बंधक करके उक्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को और उन निबंधनों और शर्तों के सम्यक् अनुपालन को प्रतिभूत करे जो भारत सरकार के निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय द्वारा उसके कार्यालय ज्ञापन सं० एफ-II-27(5)/54, तारीख 12 अप्रैल, 1956 के साथ जारी किए गए "मकानों के निर्माण आदि के लिए केन्द्रीय सरकार के सेवकों को अग्रिम देने का विनियमन करने के लिए नियमों" (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है और इसमें जहां संदर्भ से अनुकूल हो, तत्समय प्रवृत्त उसके संशोधन तथा उसके परिवर्धन भी हैं) में दी गई हैं।

बंधकदार ने बंधककर्ता को................रुपए (...........रुपए) का अग्रिम मंजूर कर दिया है। यह अग्रिम उन किस्तों में और उस रीति में संदेय होगा जो इसमें आगे बताई गई है।

बंधककर्ता को बंधकदार से उक्त अग्रिम निम्नलिखित किस्तों में मिलना है :—

................रुपए (................रुपए) तब जब बंधककर्ता बंधकदार के पक्ष में इस विलेख का निष्पादन करेगा।

.............रुपए (.............रुपए) तब जब मकान का निर्माण कुरसी के स्तर पर पहुंचेगा।

..... रुपए (..... रुपए) तब जब मकान का निर्माण छत के स्तर तक पहुंचेगा परन्तु यह तब जब कि बंधकदार का यह समाधान हो जाए कि उस क्षेत्र का विकास जिसमें मकान बनाया गया है, जल अदाय, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था, सड़कों, नालियों और मलवहन जैसी सुविधाओं की दृष्टि से पूरा हो गया है।

यह करार निम्नलिखित का साक्षी है :—

(i) उक्त नियमों के अनुसरण में और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार बंधकदार द्वारा बंधककर्ता को मंजूर किए गए/दिए गए उक्त अग्रिम के प्रतिफलस्वरूप बंधककर्ता, बंधकदार से यह प्रसविदा करता है कि बंधककर्ता उक्त नियमों के सभी निबंधनों और शर्तों का सदैव सम्यक् रूप से अनुपालन करेगा और.....रु० (.....रुपए) के उक्त अग्रिम का बंधकदार को प्रतिसंदाय अपने वेतन में से करेगा। यह प्रतिसंदाय .....मास से अथवा मकान पूरा होने के पश्चात्वर्ती मास से, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रारम्भ होगा और.....मास में संदेय होगा। बंधककर्ता ऐसी किस्तों की रकम की कटौती उसके मासिक वेतन/छुट्टी वेतन/निर्वाह भत्ते में से करने के लिए बंधकदार को प्राधिकृत करता है। उक्त अग्रिम की पूरी रकम देने के पश्चात् बंधककर्ता उस पर देय ब्याज का संदाय भी..... मासिक किस्तों में उस रीति में और उन निबंधनों पर करेगा जो उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट हैं। परन्तु बंधककर्ता ब्याज सहित अग्रिम का पूरा प्रतिसंदाय उस तारीख से पूर्व करेगा जिस तारीख को वह सेवा से निवृत्त होने वाला है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो बंधकदार को यह हक होगा कि वह बंधक की इस प्रतिभूति को उसके बाद किसी समय प्रवृत्त करे और उस समय देय अग्रिम की शेष रकम तथा उस पर ब्याज और वसूली का खर्च बंधक सम्पत्ति का विक्रय करके या विधि के अधीन अनुज्ञेय किसी अन्य रीति से वसूल करे। बंधककर्ता चाहे तो इस रकम का प्रतिसंदाय इससे कम अवधि के भीतर कर सकता है।

(ii) यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करेगा जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाएगा या सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहेगा अथवा यदि वह अग्रिम के पूरे संदाय के पूर्व मर जाता है या यदि बंधककर्ता उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट और उसकी ओर से अनुपालन किए जाने वाले किसी निबंधन, शर्त और अनुबंध का अनुपालन नहीं करेगा तो ऐसी प्रत्येक दशा में अग्रिम का सम्पूर्ण धन या उसका उतना भाग जो उस समय देय रहता है और जिसका संदाय नहीं किया गया है, और उस पर.....प्रति वर्ष की दर से ब्याज, जो बंधककर्ता द्वारा उक्त अग्रिम की पहली किस्त के दिए जाने की तारीख से परिकलित किया जाएगा, तुरन्त संदेय हो जाएगा। इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि बंधककर्ता अग्रिम का उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन के लिए करता है जो उस प्रयोजन से भिन्न है जिसके लिए वह मंजूर किया गया है तो बंधकदार, बंधककर्ता के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा जो उसको (बंधककर्ता को) लागू सेवा के नियमों के अधीन उपयुक्त हो।

(iii) उक्त नियमों के अनुसरण में और उपर्युक्त प्रतिफल के लिए तथा उपर्युक्त अग्रिम के और उस पर ब्याज के जो उसके पश्चात् किसी समय या समयों पर इस विलेख के निबंधनों के अधीन बंधकदार को देय हो, प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के लिए बंधककर्ता, उक्त सम्पूर्ण बंधक सम्पत्ति का जिसका पूरा वर्णन इसमें आगे लिखी अनुसूची में दिया हुआ है, उक्त बंधक सम्पत्ति पर बंधककर्ता द्वारा निर्मित या निर्मित किए जाने वाले भवनों या तत्समय उस पर की सामग्री का उक्त बंधक सम्पत्ति से संबंधित सभी या किन्हीं अधिकारों, सुखाचारों और अनुलग्नकों सहित अनुदान, हस्तांतरण, अन्तरण और

समनुदेशन करता है। बंधकदार उक्त बंधक सम्पत्ति को उसके अनुलग्नकों सहित धारण करेगा। इन अनुलग्नकों में वे सभी निर्माण और भवन जो उक्त बंधक सम्पत्ति पर निर्मित और बने हों या उसके पश्चात् निर्मित किए या बनाए जाएं या तत्समय उस पर की सामग्री भी सम्मिलित है। बंधकदार इन्हें पूर्ण रूप से और सदैव सभी विल्लंगमों से मुक्त रूप में अपने उपयोग के लिए धारण करेगा। किन्तु यह इसमें आगे दिए हुए मोचन संबंधी उपबंध के अधीन होगा। यह भी उपबंध है तथा इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता बंधककार को इसके द्वारा प्रतिभूत उक्त मूल धन और ब्याज का और ऐसी अन्य रकम का (यदि कोई हो) जो बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को, उक्त नियमों के निबंधनों और शर्तों के अधीन संदेय अवधारित की जाए, सम्यक् रूप से संदाय इसमें दी हुई रीति से कर देगा तो बंधकदार उसके बाद किसी समय बंधककर्ता के अनुरोध और खर्चे पर उक्त बंधक सम्पत्ति का पुनः हस्तांतरण और पुनः अंतरण बंधककर्ता को उसके या उसके निदेशानुसार उपयोग के लिए कर देगा।

(iv) अभिव्यक्त रूप से यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि बंधककर्ता अपनी ओर से की गई और इसमें दी हुई प्रसंविदाओं का भंग करेगा या यदि बंधककर्ता दिवालिया हो जाएगा या सामान्य रूप से सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता से भिन्न किसी कारण से सेवा में नहीं रहेगा या यदि वह उन सभी रकमों के जो इस विलेख के अधीन बंधकदार को संदेय हैं, और उन पर ब्याज के पूरी तरह से चुकाए जाने से पूर्व मर जाता है या यह कि यदि उक्त अग्रिम या उसका कोई भाग इस विलेख के अधीन या किसी अन्य रूप से तुरन्त संदेय हो जाता है तो ऐसी प्रत्येक दशा में बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, उक्त बंधक सम्पत्ति का या उसके किसी भाग का विक्रय एक साथ या टुकड़ों में और सार्वजनिक नीलाम द्वारा या प्राइवेट संविदा द्वारा कर दे। उसे यह शक्ति होगी कि वह उसका क्रय कर ले या विक्रय की किसी संविदा को विखंडित कर दे और उसका पुनः विक्रय कर दे तथा ऐसी किसी हानि के लिए जिम्मेदार न होगा जो ऐसा करने से हो। उसे यह शक्ति भी होगी कि वह ऐसा विक्रय करने के लिए, जो बंधकदार ठीक समझे, सभी कार्य करे और हस्तान्तरण पत्रों का निष्पादन करे। यह घोषणा की जाती है कि बेचे गए परिसर या उसके किसी भाग के क्रय धन के लिए बंधकदार की रसीद इस बात का प्रमाण होगी कि क्रेता/क्रेताओं ने क्रय धन का भुगतान कर दिया है। यह भी घोषणा की जाती है कि उक्त शक्ति के अनुसरण में किसी विक्रय से प्राप्त धन को बंधकदार न्यास के रूप में धारण करेगा। उसमें से सर्वप्रथम ऐसे विक्रय पर हुए खर्चे का संदाय किया जाएगा और तब इस विलेख की प्रतिपूर्ति पर तत्समय देय धन को चुकाने में या उसके लिए धन का संदाय किया जाएगा और यदि कोई धन बाकी रहता है तो वह बंधककर्ता को दे दिया जाएगा।

(v) बंधककर्ता, बंधकदार के साथ निम्नलिखित प्रसंविदा करता है :—

(क) कि बंधककर्ता को इस बात का विधिपूर्ण अधिकार और प्राधिकार है कि वह बंधक सम्पत्ति का, बंधकदार को और उसके उपयोग के लिए अनुदान, हस्तांतरण, अंतरण और समनुदेशन उक्त रीति में करे।

(ख) कि बंधककर्ता मकान के निर्माण का काम उस अनुमोदित नक्शे और उन विनिर्देशों के अनुसार ही करेगा जिनके आधार पर उक्त अग्रिम की संगणना की गई है और वह मंजूर किया गया है, जब तक कि उससे विचलन की अनुज्ञा बंधकदार ने न दे दी हो। बंधककर्ता कुरसी/छत पड़ने के स्तर पर अनुज्ञेय अग्रिम की किस्तों के लिए आवेदन करते समय यह प्रमाणित करेगा कि निर्माण कार्य उस नक्शे और प्राक्कलन के अनुसार किया जा रहा है जो उसने बंधकदार को दिए हैं, कि निर्माण कार्य कुरसी/छत पड़ने के स्तर तक पहुंच गया है और मंजूर किए गए अग्रिम में से ली

जा चुकी रकम का वस्तुतः उपयोग मकान के निर्माण के लिए किया गया है। वह उक्त प्रमाणपत्रों के सही होने का सत्यापन करने के लिए बंधकदार को स्वयं या उसके प्रतिनिधि के द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति देगा। यदि बंधककर्ता कोई मिथ्या प्रमाणपत्र देता है तो उसे बंधकदार को वह सम्पूर्ण अग्रिम, जो उसे मिला है, तथा उस पर..... प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा। इसके अतिरिक्त बंधककर्ता के विरुद्ध उसको लागू सेवा नियमों के अधीन उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(ग) बंधककर्ता मकान का निर्माण अग्रिम की पहली किस्त के संदाय की तारीख के अट्ठारह मास के भीतर पूरा करेगा जब तक कि बंधकदार ने इस काम के लिए लिखित रूप में समय न बढ़ा दिया हो। इसमें व्यतिक्रम होने पर बंधककर्ता को उसे दी गई सम्पूर्ण रकम का और उक्त नियमों के अधीन परिकलित ब्याज का एकमुश्त प्रतिसंदाय करना होगा। बंधककर्ता मकान पूरा होने के तारीख की सूचना बंधकदार को देगा और वह बंधकदार को इस आशय का एक प्रमाणपत्र देगा कि अग्रिम की पूरी रकम का उपभोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए वह मंजूर किया गया था।

(घ) बंधककर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम में उस मकान का तुरन्त अपने खर्च पर बीमा उतनी रकम के लिए कराएगा जो उक्त अग्रिम की रकम से कम न हो। वह उसे उस समय तक जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है अग्नि, बाढ़ और तड़ित से हानि या नुकसान के विरुद्ध बीमाकृत रखेगा और बीमा पालिसी बंधकदार को सौंप देगा। बंधककर्ता समय-समय पर उक्त बीमा का प्रीमियम नियमित रूप से देगा और जब उससे अपेक्षा की जाए, प्रीमियम की रसीदें बंधकदार के निरीक्षण के लिए पेश करेगा। यदि बंधककर्ता अग्नि, बाढ़ और तड़ित के विरुद्ध बीमा नहीं कराता है तो बंधकदार के लिए यह विधिपूर्ण, किन्तु आबद्धकर नहीं होगा कि वह उक्त मकान का बीमा बंधककर्ता के खर्च पर करा ले और प्रीमियम की रकम को अग्रिम की बकाया रकम में जोड़ ले। बंधककर्ता को उस पर..... ..... प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना होगा मानो वह प्रीमियम उसको उक्त अग्रिम के भाग के रूप में दिया गया था। यह ब्याज उसे उस समय तक देना होगा जब तक वह रकम चुका नहीं दी जाती है या जब तक कि उसकी वसूली इस रूप में नहीं हो जाती है मानो वह इस विलेख के अन्तर्गत आने वाली रकम हो। बंधककर्ता, जब भी उससे अपेक्षित हो, बंधकदार को एक पत्र देगा जो बीमा करने वाले के नाम लिखा होगा जिससे उस मकान का बीमा कराया गया है। यह पत्र इसलिए होगा कि बंधकदार बीमा करने वाले को इस तथ्य की सूचना दे सके कि बंधकदार उस बीमा पालिसी में हितबद्ध है।

(ङ) बंधककर्ता उक्त मकान को अपने खर्च पर अच्छी मरम्मत की हालत में रखेगा और बंधक सम्पत्ति की बाबत नगरपालिका के और अन्य सभी स्थानीय रेट, कर और अन्य सभी देनदारियां उस समय तक नियमित रूप से देगा जब तक कि बंधकदार को अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है। बंधककर्ता, बंधकदार को उक्त आशय का एक वार्षिक प्रमाणपत्र भी देगा।

(च) बंधककर्ता, मकान पूरा होने के बाद बंधकदार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि मकान अच्छी मरम्मत की हालत में रखा गया है, निरीक्षण करने की सभी सुविधाएं उस समय तक देगा जब तक कि अग्रिम पूरी तौर से चुका नहीं दिया जाता है।

(छ) बंधककर्ता ऐसी कोई रकम और उस पर देय ब्याज, बंधकदार को लौटाएगा जो अग्रिम के मद्दे, उस उपगत व्यय के आधिक्य में ली गई है जिसके लिए अग्रिम मंजूर किया गया था।

(ज) बंधककर्ता बंधक सम्पत्ति को इस विलेख के जारी रहने के दौरान न तो भारित करेगा, न उस पर विल्लंगम सृजित करेगा, न उसका अन्य संक्रामण करेगा और न उसका किसी अन्य प्रकार से व्ययन करेगा।

(झ) इसमें किसी बात के होते हुए भी बंधकदार को यह हक होगा कि वह अग्रिम की शेष रकम और उस पर ब्याज जिसका संदाय उसकी (बंधककर्ता की) सेवा-निवृत्ति के समय तक या यदि सेवानिवृत्ति से पूर्व उसकी मृत्यु हो गई है तो उस समय तक नहीं किया गया है, बंधककर्ता को मंजूर किए जाने वाले सम्पूर्ण उपदान या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग में से वसूल कर ले।

अनुसूची, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है—

इसके साक्ष्यस्वरूप बंधककर्ता ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय के श्री.....

.....ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त बंधककर्ता.....ने

.....
(हस्ताक्षर)

(1) .....(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से तथा उनके आदेश और निदेश से भारत के महासर्वेक्षक के कार्यालय के श्री.....ने

(1) .....(प्रथम साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(प्रथम साक्षी के हस्ताक्षर)

(2) .....(द्वितीय साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय)

.....(द्वितीय साक्षी के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

.....
(हस्ताक्षर)

बैंक प्रत्याभूति

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे "सरकार" कहा गया है) ———————— के संबंध में तारीख ————————की निविदा के (जिसे इसमें आगे "उक्त निविदा" कहा गया है) निबंधनों और शर्तों के अधीन ————————से (जिसे इसमें आगे "उक्त निविदाकार" कहा गया है) उसके द्वारा इस अनुबंध के, कि वह (उक्त निविदाकार) निविदाओं के खोले जाने की तारीख से————दिन की अवधि तक अपनी प्रस्थापना खुली रखेगा, विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित करेगा, उनकी/उनकी निविदा की स्वीकृति की अधिसूचना दी जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य आरंभ करेगा और ————————रुपए (केवल ————————रुपए) के लिए बैंक प्रत्याभूति पेश करने पर निविदा के स्वीकार कर लिए जाने पर संविदा की सम्यक् रूप से और यथावत् पूर्ति के लिए प्रतिभूति के भागरूप अग्रिम धन नकद जमा करेगा या उक्त रकम के लिए नई बैंक प्रत्याभूति देगा, सम्यक् रूप से अनुपालन के लिए प्रत्याभूति बंधपत्र के रूप में अग्रिम धन स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं, और राष्ट्रपति की इस सहमति के प्रतिफलस्वरूप हम ————————बैंक लिमिटेड, सरकार को मांग की जाने पर ——रुपए की राशि का तब संदाय करने का वचनबंध करते हैं जब उक्त निविदा में अंतर्विष्ट उक्त अनुबंधों के किसी निबंधन या शर्तें का भंग करने के कारण उक्त निविदाकार का उक्त अग्रिम धन/प्रतिभूति निक्षेप, निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी के आदेश के अधीन समपहृत कर लिया जाए। हम ————बैंक लिमिटेड यह भी करार करते हैं कि इसमें अन्तर्विष्ट प्रत्याभूति उस समय तक पूर्णतः प्रवृत्त और बलशील रहेगी जब तक कि निविदा आमंत्रित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी इस प्रत्याभूति को उन्मोचित नहीं कर देता है, किन्तु सरकार को इस बंधपत्र के अधीन इसके निष्पादन की तारीख से एक वर्ष के बीतने के बाद कोई अधिकार नहीं होगा और यदि इस अवधि के भीतर संदाय की मांग नहीं की जाती है तो इस बंधपत्र के अधीन हमारा दायित्व उन्मोचित हो जाएगा। हम ————बैंक लिमिटेड यह वचनबंध भी करते हैं कि हम सरकार की लिखित पूर्व सहमति से ही इस प्रत्याभूति के चालू रहने के दौरान इसे प्रतिसंहृत करेंगे, अन्यथा नहीं।

तारीख———————— ————————बैंक लिमिटेड/के लिए

वारण्टी खण्ड का आदर्श प्ररूप (प्ररूप सा० वि० नि० 1)

ठेकेदार/विक्रेता घोषित करता है कि इस संविदा के अधीन क्रेता को बेचा गया माल/स्टोर/वस्तुएं सर्वोत्तम क्वालिटी (और कारीगरी) की होंगी और वे इसके खण्ड ---- में अनुबद्ध/वर्णित विनिर्देशों और विशिष्टियों के अनुसार होंगी तथा ठेकेदार/विक्रेता यह प्रत्याभूति देता है कि उक्त माल/स्टोर/वस्तुएं, क्रेता को उक्त माल/स्टोर/वस्तुओं के परिदान की तारीख से ---------- दिन/मास की अवधि तक उपर्युक्त वर्णन और क्वालिटी के अनुरूप बनी रहेंगी, और यह कि इस तथ्य के होते हुए भी कि क्रेता (निरीक्षक) ने उक्त माल/स्टोर/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया है और/या उनका अनुमोदन कर दिया है, यदि उक्त ---------दिन/मास की अवधि के दौरान उक्त माल/स्टोर/वस्तुओं की बाबत यह पाया जाए कि वे उपर्युक्त वर्णन और क्वालिटी के अनुरूप नहीं हैं या खराब हो गई हैं (और इस बारे में क्रेता का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा) तो क्रेता को हक होगा कि वह उक्त माल/स्टोर/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जिसकी बाबत यह पाया जाए कि वह उक्त वर्णन और क्वालिटी के अनुरूप नहीं है, अस्वीकार कर दे। इस प्रकार अस्वीकार किए जाने पर वह माल/स्टोर/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी और माल आदि के अस्वीकार किए जाने के संबंध में इसमें अंतर्विष्ट सभी उपबंध लागू होंगे। और ठेकेदार/विक्रेता से अपेक्षा की जाए तो वह माल आदि या उसका वह भाग जो क्रेता ने अस्वीकार कर दिया है बदल देगा, अन्यथा ठेकेदार/विक्रेता, क्रेता को उस नुकसानी का संदाय करेगा जो इसमें दी हुई शर्त के भंग किए जाने से उद्भूत हो। इसमें किसी बात का इस संविदा के अधीन या अन्यथा क्रेता के इससे भिन्न किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खनन पट्टा के अन्तरण के लिए आदर्श प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में ------------------(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें आगे "अन्तरक" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं)। जब अन्तरक व्यष्टि है।

---------------(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) और ---------------(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिन्हें इसमें आगे "अन्तरक" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो इसके अन्तर्गत क्रमशः उनके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं)। जब अन्तरक एक से अधिक व्यष्टि हैं।

----------(सभी भागीदारों के पतों के साथ व्यक्ति का नाम) जो------(फर्म का नाम) फर्म के नाम और अभिनाम से, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ---------------------- में है, (जिसे इसमें आगे "अन्तरक" कहा गया है तथा जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उक्त सभी भागीदार, उनके अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) भागीदारी में कारबार कर रहे हैं। जब अन्तरक रजिस्ट्रीकृत फर्म है।

-------------------- (कम्पनी का नाम) जो----------------(यहां उस अधिनियम का नाम लिखिए जिसके अधीन वह निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय------------(पता) में है (जिसे इसमें आगे "अन्तरक" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अन्तरक रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है।

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में ---------------(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिसे इसमें आगे "अन्तरिती" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उसके वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि तथा अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)। जब अन्तरिती व्यष्टि है।

जब अन्तरिती एक से अधिक व्यष्टि हैं।

————————————(व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) और ———————————— (व्यक्ति का नाम, पता और उपजीविका) (जिन्हें इसमें आगे "अन्तरक" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उनके अपने वारिस, निष्पादक, प्रशासक, प्रतिनिधि और उनके अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।

जब अन्तरिती रजिस्ट्रीकृत फर्म है।

———————— (सभी भागीदारों का नाम और पता) जो———————— (फर्म का नाम) फर्म के नाम और अभिनाम से, जो भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ————————में है (जिसे इसमें आगे "अन्तरिती" कहा गया है तथा जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उक्त सभी भागीदार, उनके अपने वारिस, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) भागीदारी में कारबार कर रहे हैं।

जब अन्तरिती रजिस्ट्रीकृत कम्पनी है।

———————————— (कम्पनी का नाम) जो———————————— (यहां उस अधिनियम का नाम लिखिए जिसके अधीन वह निगमित है) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ————में है (पता) जिसे इसमें आगे "अन्तरिती" कहा गया है तथा जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत इसके उत्तराधिकारी और अनुज्ञात समनुदेशिती भी समझे जाएंगे)।

तथा

तीसरे पक्षकार के रूप में ————————राज्य के राज्यपाल (जिन्हें इसमें आगे "राज्य सरकार" कहा गया है और जहां संदर्भ के अनुकूल हो वहां इसके अन्तर्गत उनके उत्तरवर्ती और समनुदेशिती भी समझे जाएंगे) के बीच, तारीख ———— को किया गया।

ता० ————के पट्टा करार के आधार पर, जो————(स्थान) के उप-रजिस्ट्रार के कार्यालय में तारीख————को सं० ————के रूप में रजिस्ट्रीकृत है (जिसे इसमें आगे "पट्टा" कहा गया है) और जिसकी मूल प्रति संलग्न है और उस पर "क" चिह्न अंकित है तथा जो राज्य सरकार (जिसे उसमें पट्टाकर्ता कहा गया है) और अन्तरक (जिसे उसमें पट्टेदार कहा गया है) के बीच हुआ था, अन्तरक उसकी अनुसूची में और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भी वर्णित भूमियों में उस अवधि के लिए तथा उन भाटकों और स्वामिस्वों का संदाय करने पर और पट्टेदार की प्रसंविदा और शर्तों का, जो उक्त पट्टा विलेख में आरक्षित और अन्तर्विष्ट हैं और जिनके अन्तर्गत यह प्रसंविदा भी है कि वह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, पट्टे का या उसके अधीन किसी हित का समनुदेशन नहीं करेगा, पालन करने पर———————— (खनिज/खनिजों का नाम) की तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने और उनके संबंध में खान और खनिज खोदने का हकदार है।

अब अन्तरक, अन्तरिती को पट्टे का अन्तरण और समनुदेशन करना चाहता है और अन्तरक की प्रार्थना पर राज्य सरकार ने (केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से) तारीख ————के आदेश सं०————————द्वारा अन्तरक को पट्टे का ऐसा अन्तरण और समनुदेशन इस शर्त पर करने की अनुज्ञा दे दी है कि अन्तरिती एक ऐसा करार करेगा जिसमें वे निबंधन और शर्तें होंगी जो इसमें आगे वर्णित हैं।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि—

1. अन्तरिती द्वारा अन्तरक को ————————रु० का संदाय, जिसकी प्राप्ति अन्तरक इसके द्वारा अभिस्वीकार करता है, किए जाने के प्रतिफलस्वरूप अन्तरक इसके द्वारा अन्तरिती को इसमें इसके पूर्व उल्लिखित पट्टे के अधीन सब अधिकार और दायित्व हस्तांतरित, समनुदेशित और अन्तरित करता है और पट्टेदार उन्हें तारीख————————से उक्त पट्टे की अनवसित अवधि के लिए धारण करेगा।

2. अन्तरिती इसके द्वारा राज्य सरकार से यह प्रसंविदा करता है कि पट्टे के अन्तरण और समनुदेशन के समय से और उसके बाद, अन्तरिती इसमें इसके पूर्व उल्लिखित पट्टे में अन्तर्विष्ट सभी प्रसंविदाओं, अनुबंधों और शर्तों के सभी उपबंधों का सभी प्रकार से पालन और अनुपालन करने के लिए और उनके अनुरूप कार्य करने के लिए उसी रूप में आबद्ध होगा और उनके अधीन होगा मानो वह पट्टा अन्तरिती को उस पट्टे के अधीन पट्टेदार के रूप में दिया गया था और उसने उसे मूल रूप में निष्पादित किया था।

3. एक पक्षकार के रूप में अन्तरक और दूसरे पक्षकार के रूप में अन्तरिती के बीच यह भी करार किया जाता है और उनके द्वारा घोषणा की जाती है कि—

(i) अन्तरक और अन्तरिती घोषणा करते हैं कि उन्होंने यह सुनिश्चित कर लिया है कि जिस क्षेत्र के विषय में खनन पट्टा अन्तरित किया जा रहा है उस क्षेत्र पर खनिज अधिकार राज्य सरकार में निहित है।

(ii) अन्तरक घोषणा करता है कि उसने उस खनन पट्टे का, जो इस समय अन्तरित किया जा रहा है, समनुदेशन, उप-पट्टा, बन्धक या किसी अन्य रीति से अन्तरण नहीं किया है और वर्तमान खनन पट्टे में, जिसका अन्तरण किया जा रहा है, किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई अधिकार, हक या हित नहीं है।

(iii) अन्तरक यह भी घोषणा करता है कि उसने ऐसा कोई करार, संविदा या समझौता नहीं किया है जिसके द्वारा उसका पर्याप्त वित्त पोषण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया गया था या किया जा रहा है और जिसके द्वारा या जिसके अधीन अन्तरक की संक्रिया या उपक्रमों का सारभूत रूप में नियंत्रण, अन्तरक से भिन्न किसी व्यक्ति या व्यक्ति निकाय द्वारा किया जा रहा था या किया जा रहा है।

(iv) अन्तरक यह भी घोषणा करता है कि उसने वर्तमान खनन पट्टे के अन्तरण के लिए अपने आवेदन के साथ एक शपथपत्र भी पेश किया है जिसमें वह रकम विनिर्दिष्ट की गई है जो वह अन्तरिती से प्रतिफल के रूप में प्राप्त कर चुका है या प्राप्त करने का विचार रखता है।

(v) अन्तरिती यह भी घोषणा करता है कि वह खनन संक्रिया के लिए वित्तीय रूप से सक्षम है और उसे स्वयं आरम्भ कर देगा।

(vi) अन्तरिती के पास अनुमोदन-प्रमाणपत्र और सम्बद्ध आय-कर अधिकारी से प्राप्त आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र हैं।

(vii) अन्तरक ने अन्तरिती को उस क्षेत्र में और उसके चारों ओर 65 मीटर के दायरे में सभी परित्यक्त खनिजों के सभी नक्शों की मूल/या अधिप्रमाणित प्रतियां दे दी हैं।

(viii) अन्तरिती यह भी घोषणा करता है कि इस अन्तरण के परिणामस्वरूप खनिज रियायतों के अधीन उसके द्वारा धारित क्षेत्रों से खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 6 या खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 35 का उल्लंघन नहीं होता है।

(ix) अन्तरक ने इस पट्टे की बाबत आज तक सरकार को शोध्य सभी भाटक, स्वामित्व और अन्य देय रकम का संदाय कर दिया है।

इसके साक्ष्यस्वरूप इसके पक्षकारों ने इसमें सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

अनुसूची

पट्टे की अवस्थिति और उसका क्षेत्र

————थाना————उपजिला ————————रजिस्ट्रीकरण जिला ———— में ————————(परगना) में ————————(क्षेत्र या क्षत्रों का वर्णन) में अवस्थित सभी भूखंड जिसका भू-कर सर्वेक्षण सं०———————— है और जिसका क्षेत्रफल————या उसके लगभग है और जो इससे उपाबद्ध नक्शे में———रंग की रेखा से बताया गया है और उसमें————रंग भरा गया है तथा उस भूखंड के————

उत्तर में————————है

दक्षिण में————————है

पूर्व में————————है, और

पश्चिम में————————है

राज्य सरकार के लिए और उसकी ओर से ————————————ने

1.

2.

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्तरक के हस्ताक्षर————————————

1.

2.

निम्नलिखित की उपस्थिति में अन्तरिती के हस्ताक्षर ————————————

1.

MGIPCBB—S3—I M of Law/ND/79—19-6-81—3,000

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बत्तूर द्वारा मुद्रित

1981